156 (154)

प्रेषक,

संख्या–चार्ट /लॉजिस्टिक मैनेजमेंट /118/8696-52
दिनांक–30 अक्टूबर, 13

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
इंदिरा नगर, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य
संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र
इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ।

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड स्किल 'एच.एम.आई.एस.' विषय पर प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 की पी0आई0पी0 के अनुसार **स्किल अपग्रडेशन 'एच.एम.आई.एस.'** विषय पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0), स्टैटिस्कल आफिसर एवं,ए0आर0ओ0 ,आई.सी.सी. कम्प्यूटर को प्रशिक्षण दिया जाना हैं। इस प्रशिक्षण योजना के अर्न्तगत संस्थान स्तर पर संभागीय प्रशिक्षकों हेतु टी.ओ.टी. आयोजित किया जा चुका है जिसमें आपके प्रशिक्षण केंद्र में आपकी टीम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। इस प्रशिाक्षण के मानक दिशा निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके है। इस वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्लान निम्नवत है –

1. **प्रशिक्षण कार्यभार एवं प्रतिभागियों का चयन**

आपके प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यभार की सूची संलग्न है (संलग्नक–1)। प्रत्येक जनपद नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) आई.सी.सी. कम्प्यूटर एवं स्टैटिस्कल आफिसर को प्रशिाक्षण दिया जाना हैं।

2. **प्रशिक्षण बैच में प्रतिभागियों की संख्या–**

एक बैच में 25 प्रतिभागी होंगे।धनराशि की गणना एक बैच में 25 प्रतिभागी के अनुसार की गयी है। (संलग्नक–2)

3. **प्रशिक्षण सामग्री**

प्रशिक्षण हेतु समस्त प्रशिक्षण सामग्री आपको दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को पेन ,पैड ,कार्यकम सारिणी, फारमेट आदि भी अभ्यास हेतु दिया जाना है।

4. **क्लास रूम व्यवस्था**

क्लास रूम में व्हाइट बोर्ड, डस्टर, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर –स्टैण्ड, बोल्ड मार्कर, स्केच पेन, टेप कैची आदि उपलब्ध हों। एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, स्कीन एवं लैपटाप की व्यवस्था भी की जानी है।एन.आर. एच.एम. की धनराशि से विगत वर्ष में उपलब्ध कराये गये जेनरेटर एल.सी.डी. आदि सभी उपकरणों का समुचित उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।

5. **प्रशिक्षण अवधि**

यह प्रशिक्षण पांच दिवसीय होगा। प्रतिभागियों का योगदान प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्रात :9.30 बजे सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन सायं 5.00 बजे सत्र समाप्ति करें।

6. **प्रशिक्षण सारिणी एवं प्रशिक्षण आयोजन**

प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम सारिणी संलग्न है संलग्नक–3। एक प्रशिक्षण दिवस में 5 सत्रों का आयोजन किया जायेगा तथा एक दिन में अधिकतम 5 प्रशिक्षकों का भुगतान किये जाने का प्राविधान हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक दिन सायं प्रशिक्षकों की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें प्रशिाक्षण हेतु यदि कोई बिन्दु छूट गया हो, तो उस पर चर्चा की जायेगी। अगले दिन की तैयारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यवाही को कोर्स रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया जायेगा।

7. **प्रशिक्षण कैलेण्डर**

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर संलग्न है संलग्नक–4। कृपया इसी के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करायें। प्रशिक्षण आयोजन की तिथियों में यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो प्रशिक्षण आयोजन की प्रस्तावित तिथि से संस्थान को सूचित करने का कष्ट करें।

8. **प्रशिक्षण के दौरान रहने की व्यवस्था**

यह प्रशिक्षण आवासीय है। अतः प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था छात्रावास में की जानी है। प्रशिक्षण के दौरान चाय, नाश्ता, भोजन आदि की सम्पूर्ण व समुचित व्यवस्था की जानी है।

9. **वित्तीय व्यवस्था**

1. **वित्तीय व्ययों हेतु** तालिका संलग्न (संलग्नक–2)। चिकित्साधिकारियों एवं समतुल्य वेतनमान के प्रतिभागियों को रू0 400.00 प्रतिदिन तथा चिकित्साधिकारियों से कम वेतन के प्रतिभागियों को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से परडियम का भुगतान किया जाना है।
2. **प्रतिभागियों के सम्पूर्ण** भोजन दोनों समय, चाय नाश्ता आदि के लिए रू0 200.00 प्रतिभागी के दर से अनुमन्य हैं।
3. **एक दिन में अधिकतम कुल 5** प्रशिक्षक देंगे। इनमें इन हाउस फैकेल्टी (जिन्हें एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।) को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से (चिकित्साधिकारी अथवा समतुल्य वेतनमान को) मानदेय का भुगतान किया जायेगा। चिकित्साधिकारी से कम वेतन के प्रशिक्षकों को रू0300.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान स्तर से प्रशिक्षक नामित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक को रू0 1000.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय तथा यात्रा भत्ता का भुगतान एन0आर0एच0एम0 के मानक के अनुसार किया जायेगा। गेस्ट फेकेल्टी हेतु ठहरने की व्यवस्था हेतु एन0आर0एच0एम0 के मानक के अनुसार रू0 800 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाना है। **राज्य स्तर से प्रंशिक्षक के न आने पर केवल 4 प्रशिक्षकों द्वारा ही 5 सत्र का आयोजन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में केवल 4 प्रशिक्षकों का ही भुगतान किया जायेगा।**
4. इस प्रशिक्षण हेतु रू0 100.00 प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी की दर से कन्टीन्जेन्सी अनुमन्य हैं। प्रतिभागियों की संख्या कम व अधिक होने पर व्ययों में तदनुसार परिवर्तन होगा।
5. इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों व प्रशिक्षकों के मानदेय, भोजन व कन्टीजेन्सी के व्ययों का 15प्रतिशत इन्स्टिट्यूशनल ओवरहेड अनुमन्य है। इससे क्लास रूम व छात्रावास हेतु बिजली, पानी तथा प्रशिक्षण हेतु इन्टरनेट आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
6. आपके प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु रू0.......................... की धनराशि ..... .बैच एवं .... प्रतिभागियों हेतु एस0पी0एम0यू0 द्वारा एफ0एम0आर0 कोड .ए.9.8.4.1 के अनुसार जनपद को प्रेषित की जा रही है । व्यय के मानक संलग्न है। व्यय विरण संलग्न प्रारूप पर प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद एवं एस0पी0एम0यू0 को भेजा जाना है। जिसकी एक प्रति राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को प्रतिभागियों की सूची एवं फोटो ग्राफ के साथ प्रशिक्षण के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें संलग्नक–5।

7. इस प्रशिक्षण हेतु प्रेषित धनराशि का उपयोग अन्य किसी प्रशिक्षण में नहीं लिया जाना है। मानकों का कड़ायी से अनुपालन किया जाना है। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

10. अनुश्रवण

1. प्रशिक्षण की भौतिक प्रगति व व्यय विवरण प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद एवं एस0पी0एम0यू0 को भेजना सुनिश्चित करें।
2. प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट ,प्रतिभागियों की फीड बैक व अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाये।

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

प्रतिलिपि –

1. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.,विशाल काम्पलेक्स, 19--ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
2. डा0 हरि ओम दीक्षित, तकनीकी सलाहकार, एन0आर0एच0एम0,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई विशाल काम्पलैक्स विधान सभा मार्ग लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, जगत नारायण रोड, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू. एन.आर.एच.एम., विशाल काम्पलेक्स, लखनऊ।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संबंधित मण्डल– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली , फैजाबाद, गोरखपुर, झासी, देवीपाटन, चित्रकूट, बस्ती, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के नामांकन एवं योगदान सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र वालें जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे वह जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित धनराशि प्रधानाचार्यो को शीघ्र प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मंडलीय प्रबंधन इकाई आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली , फैजाबाद, गोरखपुर, झासी, देवीपाटन, चित्रकूट, फैजाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

Tot rch

(1082) संलग्नक — 159

CTP Skill up gradation Training -HMIS for Addl PHCM.O, ICC & Statistical Officer /ARO,2 013-14

SINo.	RFPTC	District Name	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
1	Agra	Agra					
		Aligarh					
		Etah					
		Hathras					
		Kashi Ram Nagar					
		Mainpuri					
		Firozabad					
		Mathura					
		Total	50	2	274000	RHFWTC	274000
2	Allahabad	Allahabad					
		Fatehpur					
		Kaushambi					
		Pratapgarh					
		Total	50	2	274000	RHFWTC	274000
3	Bareilly	Pilibhit					
		Shahjahanpur					
		Budaun					
		Bareilly					
		Total	25	1	137000	RHFWTC	137000
4	Moradabad	Moradabad					
		Bijnor					
		Jyotiba Phule Nagar					
		Rampur					
		Total	25	1	137000	RHFWTC	137000
5	Meerut	Bagpat					
		Bulandshahar					
		Ghaziabad					
		Meerut					
		Muzaffarnagar					
		Saharanpur					
		Gautam Buddha Nagar					
		Total	50	2	274000	RHFWTC	274000

SlNo.	RFPTC	District Name	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
6	Kanpur	Kannauj					
		Kanpur Dehat /Ramabai n					
		Kanpur Nagar					
		Farrukhabad					
		Etawah					
		Auraiya					
		Total	25	1	137000	RHFWTC	137000
7	Jhansi	Banda					
		Mahoba					
		Jalaun					
		Hamirpur					
		Jhansi					
		Chitrakoot					
		Lalitpur					
		Total	50	2	274000	RHFWTC	274000
8	Faizabad	Gonda					
		Faizabad					
		Shrawasti					
		Sultanpur					
		Barabanki					
		Ambedkar Nagar					
		Bahraich					
		Balrampur					
		Total	75	3	411000	RHFWTC	411000
9	Gorakhpur	Gorakhpur					
		Siddharth Nagar					
		Maharajganj					
		Sant Kabir Nagar					
		Deoria					
		Basti					
		Kushinagar					
		Total	75	3	411000	RHFWTC	411000

SlNo.	RFPTC	District Name	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
10	Lucknow	Lakhimpur Kheri					
		Sitapur					
		Lucknow					
		Unnav					
		Hardoi					
		Rae Bareli					
		Total	50	2	274000	RHFWTC	274000
11	Varanasi	Ghazipur					
		Sant Ravidas Nagar					
		Jaunpur					
		Sonbhadra					
		Varanasi					
		Mirzapur					
		Ballia					
		Chandauli					
		Azamgarh					
		Maunathbhanjan					
		Total	75	3	411000	RHFWTC	411000
TOTAL			550	22	3014000		3014000

संलग्नक -2

162

Skill - Upgradation HMISFMR code A.9.8.4.1

	5 Days at RHFWTC(For Medical officers ,Statistical Officer ICC and) plan 2013-14				
	Cost calculation per batch (for a batch of 25)				
S.N.	Item	Rate	Days	Number / units	Amount in Rs.
1	Perdium to participants	400	5	25	50000
2	Food for participants	200	5	25	25000
3	Food for trainers	150	5	5	3750
4	HonorariumState Level Guest Faculty	1000	5	1	5000
5	Honorarium to in House - Faculty	500	5	4	10000
6	Contingency	100	5	25	12500
A	**Total**				**106250**
7	Institutional Overhead (15%)				**15930**
8	TA to participants State Level Guest . Trainer/StateObservers (actual as per NRHM norms)				14820
9	Grand Total				**137000**
	Note-Perdium to participants to Group C,D will be paid @ Rs.300 per day. The Honorarium to in House - Faculty for group C,D will be paid @ of Rs.300/- per day				

संलग्नक-3

Regional Health &Family WelfareTraining Centre
Integrated Skill Training -HMIS
(ICC and Statistical Officer)

	Content	Training Method	Faculty
Day-1	Content		
Session 1	objectve of Training	Lecture	
Session 2	NRHM : Concept & Meaning	Lecture &Discussion	
Session 3	Job responsibilities of ICC and statistical officers	Lecture &Discussion	
Session 4	Integrated Service Delivery -Concept	Lecture &Discussion	
Session 5	HMIS and its Importance	Lecture &Discussion	
Day-2			
Session 1	Sources of data ,Recording and Reporting of data,Registers	Discussion & Exercise	
Session 2	RCH-Register,Clinic Register,TargetCouple Regist&Stock Book and Reporting Formate used by ANM	Discussion & Exercise	
Session 3	HMIS -GOI Formate-Exercise	Discussion & Exercise	
Session 4 Session 5	Transformation of field data into GOI Formate-Exercise	Discussion & Exercise	
Day-3			
Session 1 Session 2	Preparation of all Monthly Progress Reports related to NRHM -HMIS Formats	Discussion & Exercise	
Session 3	Monthly Progress Report in National Programm RNTCP	Discussion & Exercise	
Session 4 Session 5	Monthly Progress Report in National Programm NLEP	Discussion & Exercise	
Day-4			
Session 1 Session 2	Programme specific,(FP)collection of data from lower levels, compiling and sending to higher	Discussion & Exercise	
Session 3	MIS-timely reporting and completeness of report	Discussion & Exercise	
Session 4	Various Reporting Formates- dicussion on Descripancies, outliers & validation	Discussion & Exercise	
Session 5	System approach- continuous and periodic tracking of Information Feedback and Action taken	Discussion & Exercise	
Day-5			
Session 1	Validation of data-Track change in performance/ unusual events and mid – course correction of data	Discussion & Exercise	
Session 2	Exercise on computer		
Session 3	Exercise on computer		
Session 4	Exercise on computer		
Session 5	Valdictory		

Session-1	09.45-11.00 AM	Coffee Break 11.00-11.15 AM
Session-2	11.15-12.30 AM	Lunch Break 01.45-02.30 PM
Session-3	12.30-13.45 PM	Tea Break 03.45-04.00 PM
Session-4	14.30-15.45 PM	
Session-5	16.00-17.15 AM	

166 163

संलग्नक ५

Training Calender 2013-14 (HMIS and Logistics)

SlNo.	RFPTC	HMIS Training	Batches 25Participants per batch	Log MGT	Batches 15 Participants per batch	Training Dates for Training at RHFWTC							
1	Agra (HMIS 5 days	50	2							25-29 Nov	13-17 Jan		
	Log Mgt (3 days)			60	4		2-4 Jan	6-8Jan	28-30 Jan	20*22 Feb			
2	Allahabad (HMIS 5	50	2			16-20 Dec		18-22 Jan					
	Log Mgt (3 days)			45	3		2-4 Jan	10-12 Feb	13-15 Feb				
3	Bareilly (HMIS 5 da	25	1			16-20 Dec		2-4 Jan	6-8 Jan				
	Log Mgt (3 days)			30	2				06-10 Jan				
4	Moradabad (HMIS	25	1							3-5 feb			
	Log Mgt 3 days)			15	1			6-10 Jan		3-8 feb			
5	Meerut (HMIS 5 da	50	2			16-18 Dec	2-4 Jan	6-8 Jan	20-24 Jan	13-15 feb			
	Log Mgt 3 days)			75	5								
6	Kanpur (HMIS 5 da	25	1			16-20 Dec							
	Log Mgt 3 days)			45	3	16-18 Dec	2-4 Jan	6-8 Jan					
7	Jhansi (HMIS 5 day	50	2			16-20 Dec		16-18 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	
	Log Mgt 3 days)			60	4		2-4 Jan		20-24 Jan			3-8 March	
8	Faizabad (HMIS 5 d	75	3				6-11Jan						
	Log Mgt 3 days)			90	6		2-4 Jan	6-8 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	10-12 March
										17-19 Feb			
9	Gorakhpur (HMIS	75	3			16-20 Dec	6-11Jan			6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	
	Log Mgt 3 days)			75	5		2-4 Jan	6-8 Jan					
10	Lucknow (HMIS 5 d	50	2			16-20 Dec	6-11Jan			6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	
	Log Mgt 3 days)			75	5		2-4 Jan	6-8 Jan					
11	Varanasi (HMIS 5 d	75	3			16-20 Dec			20-24 Jan	10-14 Feb			
	Log Mgt 3 days)			90	6		2-4 Jan	6-8 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	10-12 March
	TOTAL	550	22	660	44								

सत्य -2

165

Skill - Upgradation HMISFMR code A.9.8.4.1

S.N.	5 Days at RHFWTC(For Medical officers ,Statistical Officer ICC and) plan 2013-14					No of Actual participants---	
	Cost calculation per batch (for a batch of 25)					Batch No.	Date
S.N.	Item	Rate	Days	Number / units	Amount in Rs.	Expenditure	Balance
1	Perdium to participants	400	5	25	50000		
				25	25000		
2	Food for participants	200	5	5	3750		
3	Food for trainers	150	5		5000		
4	HonorariumState Level Guest Faculty	1000	5	1	10000		
5	Honorarium to in House - Faculty	500	5	4	12500		
6	Contingency	100	5	25	106250		
A	Total				15930		
7	Institutional Overhead (15%)						
8	TA to participants State Level Guest Trainer/StateObservers. (actual as per NRHM norms)				14820		
					137000		
9	Grand Total						
-	Note-Perdium to participants to Group C,D will be paid @ Rs.300 per day. The Honorarium to in House - Faculty for group C,D will be paid @ of Rs.300/- per day						

166

CTP Skill up gradation Training -HMIS for Addl PHCM.O, ICC & Statistical Officer /ARO,2 013-14

SlNo.	RHFWTC	District Name	Total Load	Total Trainedtill2011-12	Remaining Training load	Training load MO addl PHC ICC+ Statistical officer Batches2012-	Remaining Training load 2013-14	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
1	Agra	Agra	65	34	31							
2		Aligarh	50	13	37							
3		Etah	38	4	34							
4		Hathras	34	5	29							
5		Kashi Ram Nagar	38	3	35							
6		Mainpuri	49	1	48							
7		Firozabad	56	9	47							
8		Mathura	39	13	26							
		Total	369	82	287	50	237	50	2	274000	RHFWTC	274000
9	Allahabad	Allahabad	83	12	71							
10		Fatehpur	54	4	50							
11		Kaushambi	40	4	36							
12		Pratapgarh	71	4	67							
		Total	248	24	224	50	174	50	2	274000	RHFWTC	274000
13	Bareilly	Pilibhit	30	5	25							
14		Shahjahanpur	53	13	40							
15		Budaun	70	9	61							
16		Bareilly	68	14	54							
17		Total	221	41	180	25	155	25	1	137000	RHFWTC	137000

	RHFWTC	District Name	Total Load	Total Trainedtill2011-12	Remaining Training load	Training load MO addl PHC ICC+ Statistical officer Batches2012-	Remaining Training load 2013-14	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
3	Moradabad	Moradabad	64	28	36							
9		Bijnor	65	19	46							
0		Jyotiba Phule Nagar	33	10	23							
1		Rampur	36	13	23							
		Total	198	70	128	25	103	25	1	137000	RHFWTC	137000
2	Meerut	Bagpat	27	8	19							
3		Bulandshahar	71	17	54							
4		Ghaziabad	51	15	36							
5		Meerut	45	19	26							
6		Muzaffarnagar	76	13	63							
7		Saharanpur	50	15	35							
8		Gautam Buddha Nagar	24	5	19							
		Total	344	92	252	50	202	50	2	274000	RHFWTC	274000
9	Kanpur	Kannauj	40	19	21							
0		Kanpur Dehat /Ramabai n	39	12	27							
1		Kanpur Nagar	44	25	19							
2		Farrukhabad	35	8	27							
3		Etawah	36	18	18							
4		Auraiya	34	12	22							
		Total	228	94	134	25	109	25	1	137000	RHFWTC	137000

SlNo.	RHFWTC	District Name	Total Load	Total Trainedtill2011-12	Remaining Training load	Training load MO addl PHC ICC+ Statistical officer Batches2012-	Remaining Training load 2013-14	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
35	Jhansi	Banda	57	9	48							
36		Mahoba	21	13	8							
37		Jalaun	44	12	32							
38		Hamirpur	45	14	31							
39		Jhansi	46	20	26							
40		Chitrakoot	35	9	26							
41		Lalitpur	31	13	18							
		Total	279	90	189	50	139	50	2	274000	RHFWTC	274000
42	Faizabad	Gonda	68	0	68							
43		Faizabad	41	0	41							
44		Shrawasti	20	0	20							
45		Sultanpur	84	0	84							
46		Barabanki	71	0	71							
47		Ambedkar Nagar	36	0	36							
48		Bahraich	67	0	67							
49		Balrampur	35	0	35							
		Total	422	0	422	75	347	75	3	411000	RHFWTC	411000
50	Gorakhpur	Gorakhpur	82	37	45							
51		Siddharth Nagar	73	11	62							
52		Maharajganj	48	16	32							
53		Sant Kabir Nagar	27	9	18							
54		Deoria	86	18	68							
55		Basti	46	14	32							
56		Kushinagar	74	15	59							
		Total	436	120	316	75	241	75	3	411000	RHFWTC	411000

169

SlNo.	RHFWTC	District Name	Total Load	Total Trainedtill2011-12	Remaining Training load	Training load MO addl PHC ICC+ Statistical officer Batches2012-	Remaining Training load 2013-14	Training load 2013-14	Batches 25Participants per batch	Cost per batch Rs 137000	Place where money to be released at RHFWTC	Amount to be send to RHFWTC
57	Lucknow	Lakhimpur Kheri	73	10	63							
58		Sitapur	82	10	72							
59		Lucknow	39	10	29							
60		Unnav	58	14	44							
61		Hardoi	78	8	70							
62		Rae Bareli	79	13	66							
		Total	409	65	344	50	294	50	2	274000	RHFWTC	274000
63	Varanasi	Ghazipur	74	10	64							
64		Sant Ravidas Nagar	22	6	16							
65		Jaunpur	96	22	74							
66		Sonbhadra	34	6	28							
67		Varanasi	38	16	22							
68		Mirzapur	33	12	21							
69		Ballia	91	20	71							
70		Chandauli	35	14	21							
71		Azamgarh	107	19	88							
72		Maunathbhanjan	47	8	39							
		Total	577	133	444	75	369	75	3	411000	RHFWTC	411000
		TOTAL	3731	811	2920	550	2370	550	22	3014000		3014000

170 (443)

फैक्स संख्या–0522–2310679
संख्या–चार्ट / लॉजिस्टिक मैनेजमेन्ट / 118 / 8696-52
दिनांक– 30 अक्टूबर, 13

प्रेषक,

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
इंदिरा नगर, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य
संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र
इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ।

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्किल अपग्रेडेशन लॉजिस्टिक मैनेजमेन्ट विषय पर प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्किल अपग्रेडेशन **लाजिस्टिक मैनेजमेन्ट** विषय पर फार्मासिस्ट व स्टोर कीपर को वर्ष 2013–14 की पी0आई0पी0 के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना हैं। इस प्रशिक्षण योजना के अर्न्तगत संस्थान स्तर पर संभागीय प्रशिक्षकों हेतु टी.ओ.टी. आयोजित किया जा चुका है जिसमें आपके प्रशिक्षण केंद्र में आपकी टीम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। इस प्रशिक्षण के मानक व दिशा निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके है। इस वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्लान निम्नवत है –

1. **प्रशिक्षण कार्यभार एवं प्रतिभागियों का चयन**

आपके प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यभार की सूची संलग्न है (संलग्नक–1)। प्रत्येक जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट व स्टोर कीपर को प्रशिक्षित किया जाना है।

2. **प्रशिक्षण बैच में प्रतिभागियों की संख्या–**

एक बैच में 15 प्रतिभागी होंगे धनराशि की गणना एक बैच में 15 प्रतिभागी के अनुसार की गयी है। (संलग्नक–2)

3. **प्रशिक्षण सामग्री**

प्रशिक्षण हेतु समस्त प्रशिक्षण सामग्री आपको दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को पेन ,पैड ,कार्यकम सारिणी तथा सेल्फ ऐसेसमेन्ट टेस्ट आदि भी अभ्यास हेतु दिया जाना है।

4. **क्लास रूम व्यवस्था**

क्लास रूम में व्हाइट बोर्ड, डस्टर, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर –स्टैण्ड, बोल्ड मार्कर, स्केच पेन, आदि उपलब्ध हों। एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, स्कीन एवं लैपटाप की व्यवस्था भी की जानी है। एन.आर.एच.एम. की धनराशि से विगत वर्ष में उपलब्ध कराये गये जेनरेटर एल.सी.डी. आदि सभी उपकरणों का समुचित उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।

5. **प्रशिक्षण अवधि**

यह प्रशिाक्षण तीन दिवसीय होगा। अतः प्रतिभागियों का योगदान प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्रात :9.30 बजे सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन सायं 5.00 बजे सत्र समाप्ति करें।

6. **प्रशिक्षण सारिणी एवं प्रशिक्षण आयोजन**

प्रशिक्षण हेतु कार्यकम सारिणी संलग्न है (संलग्नक–3)। एक प्रशिक्षण दिवस में 5 सत्रों का आयोजन किया जायेगा तथा एक दिन में अधिकतम 5 प्रशिक्षकों का भुगतान किये जाने का प्राविधान हैं।

प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक दिन सायं प्रशिक्षकों की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें प्रशिक्षण हेतु यदि कोई बिन्दु छूट गया हो, तो उस पर चर्चा की जायेगी। अगले दिन की तैयारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यवाही को कोर्स रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया जायेगा।

7. **प्रशिक्षण कैलेण्डर**

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर संलग्न है (संलग्नक–4)। कृपया इसी के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करायें। प्रशिक्षण आयोजन की तिथियों में यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो प्रशिक्षण आयोजन की प्रस्तावित तिथि से संस्थान को सूचित करने का कष्ट करें।

8. **प्रशिक्षण के दौरान रहने की व्यवस्था**

यह प्रशिक्षण आवासीय है। अतः प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था छात्रावास में की जानी है। प्रशिक्षण के दौरान चाय, नाश्ता, भोजन आदि की सम्पूर्ण व समुचित व्यवस्था की जानी है।

9. **वित्तीय व्यवस्था**

1. **वित्तीय व्ययों** हेतु तालिका संलग्न (संलग्नक–2)। चिकित्साधिकारियों एवं समतुल्य वेतनमान के अधिकारियों को रू0 400.00 प्रतिदिन तथा चिकित्साधिकारियों से कम वेतन के प्रतिभागियों को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से परडियम का भुगतान किया जाना है।
2. **प्रतिभागियों के सम्पूर्ण** भोजन दोनों समय, चाय ,नाश्ता आदि के लिए रू0 200.00 प्रतिभागी के दर से अनुमन्य हैं।
3. **एक दिन में अधिकतम कुल 5 प्रशिक्षक** देंगे। इनमें इन हाउस फैकेल्टी (जिन्हें एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू. द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।) को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से (चिकित्साधिकारी अथवा समतुल्य वेतनमान को) मानदेय का भुगतान किया जायेगा। चिकित्साधिकारी से कम वेतन के प्रशिक्षकों को रू0300.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान स्तर से प्रशिक्षक नामित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक को रू0 1000.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय तथा यात्रा भत्ता का भुगतान एन0आर0एच0एम0 के मानक के अनुसार किया जायेगा। गेस्ट फैकेल्टी हेतु ठहरने की व्यवस्था हेतु एन0आर0एच0एम0 के मानक के अनुसार रू0 800 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाना है। **राज्य स्तर से प्रशिक्षक के न आने पर केवल 4 प्रशिक्षकों द्वारा ही 5 सत्र का आयोजन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में केवल 4 प्रशिक्षकों का ही भुगतान किया जायेगा।**
4. इस प्रशिक्षण हेतु रू0 100.00 प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी की दर से कन्टीन्जेन्सी अनुमन्य हैं। प्रतिभागियों की संख्या कम व अधिक होने पर व्ययों में तद्नुसार परिवर्तन होगा।
5. आपके प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु रू0 3,36,000 की धनराशि 6 बैच एवं 90 प्रतिभागियों हेतु एस0पी0एम0यू0 द्वारा एफ0एम0आर0 कोड .ए.9.8.4.1 के अनुसार जनपद को प्रेषित की जा रही है । व्यय के मानक संलग्न है। व्यय विरण संलग्न प्रारूप पर प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद एवं एस0पी0एम0यू0 को भेजा जाना है। जिसकी एक प्रति राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को प्रतिभागियों की सूची एवं फोटो ग्राफ के साथ प्रशिक्षण के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें (संलग्नक–5)।
6. इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों व प्रशिक्षकों के मानदेय, भोजन व कन्टीजेन्सी के व्ययों का 10 प्रतिशत इन्स्टिट्यूशनल ओवरहेड अनुमन्य है। इससे क्लास रूम व छात्रावास हेतु बिजली, पानी तथा प्रशिक्षण हेतु इन्टरनेट आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
7. इस प्रशिक्षण हेतु प्रेषित धनराशि का उपयोग अन्य किसी प्रशिक्षण में नहीं लिया जाना है। मानकों का कड़ायी से अनुपालन किया जाना है। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

10. अनुश्रवण

1. प्रशिक्षण की भौतिक प्रगति व व्यय विवरण प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद एवं एस0पी0एम0यू0 को भेजना सुनिष्चित करें।
2. प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट ,प्रतिभागियों की फीड बैक व अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाये।

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

प्रतिलिपि –

1. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.,विशाल काम्पलेक्स, 19–ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
2. डा0 हरि ओम दीक्षित, तकनीकी सलाहकार,एन0आर0एच0एम0,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई विशाल काम्पलैक्स विधान सभा मार्ग लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, जगत नारायण रोड, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू. एन.आर.एच.एम., विशाल काम्पलेक्स, लखनऊ।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संबंधित मण्डल– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली , फैजाबाद, गोरखपुर, झासी, देवीपाटन, चित्रकूट, [illegible], कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के नामांकन एवं योगदान सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे वह जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित धनराशि प्रधानाचार्यो को शीघ्र प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मंडलीय प्रबंधन इकाई– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली , फैजाबाद, गोरखपुर, झासी, देवीपाटन, चित्रकूट, फैजाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

सम-न्य -1
~~176~~
173

CTP IST Logestic Management at RHFWTC for Yr. 2013-14

SlNo.	RHFWTC	District Name	Training Load for the year 2013-14	Batches 15 Participants per batch	Cost per batch Rs 56000	Place where money to be released at RHFWTC	Money to be released to RHFWTC
1	Agra	Agra					
		Aligarh					
		Etah					
		Hathras					
		Kashi Ram Nagar					
		Mainpuri					
		Firozabad					
		Mathura					
		Total	60	4	224000	RHFWTC	224000
2	Allahabad	Allahabad					
		Fatehpur					
		Kaushambi					
		Pratapgarh					
		Total	45	3	168000	RHFWTC	168000
3	Bareilly	Pilibhit					
		Shahjahanpur					
		Budaun					
		Bareilly					
		Total	30	2	112000	RHFWTC	112000
4	Moradabad	Moradabad					
		Bijnor					
		Jyotiba Phule Nagar					
		Rampur					
		Total	15	1	56000	RHFWTC	56000
5	Meerut	Bagpat					
		Bulandshahar					
		Ghaziabad					
		Meerut					
		Muzaffarnagar					
		Saharanpur					
		Gautam Buddha Na					
		Total	75	5	280000	RHFWTC	280000
6	Kanpur	Kannauj					
		Kanpur Dehat /Ram					
		Kanpur Nagar					
		Farrukhabad					
		Etawah					
		Auraiya					
		Total	45	3	168000	RHFWTC	168000

7	Jhansi	Banda					
		Mahoba					
		Jalaun					
		Hamirpur					
		Jhansi					
		Chitrakoot					
		Lalitpur					
		Total	60	4	224000	RHFWTC	224000
8	Faizabad	Gonda					
		Faizabad					
		Shrawasti					
		Sultanpur					
		Barabanki					
		Ambedkar Nagar					
		Bahraich					
		Balrampur					
		Total	90	6	336000	RHFWTC	336000
9	Gorakhpur	Gorakhpur					
		Siddharth Nagar					
		Maharajganj					
		Sant Kabir Nagar					
		Deoria					
		Basti					
		Kushinagar					
		Total	75	5	280000	RHFWTC	280000
10	Lucknow	Lakhimpur Kheri					
		Sitapur					
		Lucknow					
		Unnav					
		Hardoi					
		Rae Bareli					
		Total	75	5	280000	RHFWTC	280000
11	Varanasi	Ghazipur					
		Sant Ravidas Nagar					
		Jaunpur					
		Sonbhadra					
		Varanasi					
		Mirzapur					
		Ballia					
		Chandauli					
		Azamgarh					
		Maunathbhanjan					
		Total	90	6	336000	RHFWTC	336000
TOTAL			**660**	**44**	**2464000**		**2464000**

संलग्नक -2

125

Skill - Upgradation Logistic ManagementFMR code A.9.8.4.1

	3 Days at RHFWTC(For Pharmacist and Store keepers) plan 2013-14 Cost calculation per batch (for a batch of 15)				
S.N.	Item	Rate	Days	Number / units	Amount in Rs.
1	Perdium to participants	400	3	15	18000
2	Mess Arrangements for participants (Breakfast,lunch . Dinner, Tea Etc)	200	3	15	9000
3	Food for trainers	150	3	5	2250
4	HonorariumState Level Guest Faculty	1000	3	1	3000
5	Honorarium to in House - Faculty	500	3	4	6000
6	Contingency	100	3	15	4500
A	**Total**				**42750**
7	Institutional Overhead (10% of 1-6)				**4275**
8	TA to participants State Level Guest Trainer/StateObservers (actual as per NRHM norms)				8975
B	**Grand Total**				**56000**
	Note-Perdium to participants to Group A&B will be paid @ Rs.400 per day. The Honorarium to in House - Faculty for group C will be paid @ of Rs.300/- per day				

176

Regional Health & Family Welfare Training Centre

Integrated Skill Training -Logistic Management

(Pharmacyst and Store keeper)

Day-1	Content	Training Method	Faculty
Session 1	objectve of Training	Lecture	
Session 2	NRHM : Concept & Meaning	Lecture & Discussion	
Session 3	Job responsibilities of Pharmacyst and Store keeper	Lecture & Discussion	
Session 4	Integrated Service Delivery -Concept	Lecture & Discussion	
Session 5	Logistic management and Its Importance	Lecture & Discussion	
Day-2			
Session 1	Store Organisation---- All Programme related Drug &	Lecture & Discussion	
Session 2	Contraceptives, stock verification	Lecture & Discussion,	
Session 3	Laprosy Control Programm	Lecture & Discussion	
Session 4	TB Controle Programm	Lecture & Discussion	
Session 5	Calculation of Logistic Requirement- FP, Immunisation and drug	Lecture & Discussion	
Day-3			
Session 1	Inventory, Storage of drug And Vaccines and Cold chain maintenance	Lecture & Discussion	
Session 2	Family planning Logistic Management-Indenting, Issuing and storing		
Session 3	Purchase rules	Lecture & Discussion	
Session 4	Use of L MIS	Lecture & Discussion	
Session 5	Validictory		

Session-1	09.45-11.00 AM
Session-2	11.15-12.30 AM.
Session-3	12.30-13.45 PM
Session-4	14.30-15.45 PM
Session-5	16.00-17.15 AM

Coffee Break 11.00-11.15 AM
Lunch Break 01.45-02.30 PM
Tea Break 03.45-04.00 PM

सलग्नक - 4

Training Calender 2013-14 (HMIS and Logistics)

SINo.	RFPTC	HMIS Training	Batches 25Participants per batch	Log MGT	Batches 15 Participants per batch	Training Dates for Training at RHFWTC							
1	Agra (HMIS 5 days	50	2							25-29 Nov	13-17 Jan		
	Log Mgt (3 days)			60	4		2-4 Jan	6-8Jan	28-30 Jan	20*22 Feb			
2	Allahabad (HMIS 5	50	2			16-20 Dec		18-22 Jan					
	Log Mgt (3 days)			45	3		2-4 Jan	10-12 Feb	13-15 Feb				
3	Bareilly (HMIS 5 da	25	1			16-20 Dec							
	Log Mgt (3 days)			30	2			2-4 Jan	6-8 Jan				
4	Moradabad (HMIS	25	1						06-10 Jan				
	Log Mgt 3 days)			15	1					3-5 feb			
5	Meerut (HMIS 5 da	50	2					6-10 Jan		3-8 feb			
	Log Mgt 3 days)			75	5	16-18 Dec	2-4 Jan	6-8 Jan	20-24 Jan	13-15 feb			
6	Kanpur (HMIS 5 da	25	1			16-20 Dec							
	Log Mgt 3 days)			45	3	16-18 Dec	2-4 Jan	6-8 Jan					
7	Jhansi (HMIS 5 day	50	2			16-20 Dec		16-18 Jan					
	Log Mgt 3 days)			60	4		2-4 Jan			6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	
8	Faizabad (HMIS 5 d	75	3				6-11Jan		20-24 Jan			3-8 March	
	Log Mgt 3 days)			90	6		2-4 Jan	6-8 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	10-12 March
9	Gorakhpur (HMIS	75	3			16-20 Dec	6-11Jan			17-19 Feb			
	Log Mgt 3 days)			75	5		2-4 Jan	6-8 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	
10	Lucknow (HMIS 5 d	50	2			16-20 Dec	6-11Jan						
	Log Mgt 3 days)			75	5		2-4 Jan	6-8 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	
11	Varanasi (HMIS 5 d	75	3			16-20 Dec			20-24 Jan	10-14 Feb			
	Log Mgt 3 days)			90	6		2-4 Jan	6-8 Jan		6-8 Feb	10-12 Feb	6-8 March	10-12 March
	TOTAL	550	22	660	44								

178

संलग्नक - 5

Skill - Upgradation Logistic ManagementFMR code A.9.8.4.1

	3 Days at RHFWTC(For Pharmacist and Store keepers) plan 2013-14					No of Actual participants---	
	Cost calculation per batch (for a batch of 15)					Batch No.	Date
S.N.	Item	Rate	Days	Number / units	Amount in Rs.	Expenditure	Balance
1	Perdium to participants	400	3	15	18000		
2	Mess Arrangements for participants (Breakfast,lunch . Dinner, Tea Etc)	200	3	15	9000		
3	Food for trainers	150	3	5	2250		
4	HonorariumState Level Guest Faculty	1000	3	1	3000		
5	Honorarium to in House - Faculty	500	3	4	6000		
6	Contingency	100	3	15	4500		
A	**Total**				**42750**		
7	Institutional Overhead (10% of 1-6)				**4275**		
8	TA to participants State Level Guest Trainer/StateObservers (actual as per NRHM norms)				8975		
B	**Grand Total**				**56000**		
	Note-Perdium to participants to Group A&B will be paid @ Rs.400 per day. **The Honorarium to in House - Faculty for group C will be paid @ of Rs.300/- per day**						

179

CTP IST Logistic Management at RHFWTC for Yr. 2013-14

SlNo.	RHFWTC	District Name	Total Load	Total Trained Till 2011-12	Remaining training Load	Training Load for the year 2012-13	Remaining Training Load for the year 2013-14	Training Load for the year 2013-14	Batches 15 Participants per batch	Cost per batch Rs 56000	Place where money to be released at RHFWTC	Money to be released to RHFWTC
1	Agra	Agra	65	49	16							
2		Aligarh	50	10	40							
3		Etah	38	2	36							
4		Hathras	34	13	21							
5		Kashi Ram Nagar	38	7	31							
6		Mainpuri	49	0	49							
7		Firozabad	56	20	36							
8		Mathura	39	18	21							
		Total	369	119	250	60	190	60	4	224000	RHFWTC	224000
9	Allahabad	Allahabad	83	42	41							
10		Fatehpur	54	23	31							
11		Kaushambi	40	16	24							
12		Pratapgarh	71	22	49							
		Total	248	103	145	45	100	45	3	168000	RHFWTC	168000
13	Bareilly	Pilibhit	30	29	1							
14		Shahjahanpur	53	14	39							
15		Budaun	70	20	50							
16		Bareilly	68	43	25							
17		Total	221	106	115	45	70	30	2	112000	RHFWTC	112000
18	Moradabad	Moradabad	64	36	28							
19		Bijnor	65	23	42							
20		Jyotiba Phule Nagar	33	13	20							
21		Rampur	36	19	17							
		Total	198	91	107	60	47	15	1	56000	RHFWTC	56000

183 180

22	Meerut	Bagpat	27	14	13							
23		Bulandshahar	71	17	54							
24		Ghaziabad	51	11	40							
25		Meerut	45	24	21							
26		Muzaffarnagar	76	13	63							
27		Saharanpur	50	16	34							
28		Gautam Buddha Nagar	24	6	18							
		Total	344	113	231	60	171	75	5	280000	RHFWTC	280000
29	Kanpur	Kannauj	40	14	26							
30		Kanpur Dehat /Ramaba	39	22	17							
31		Kanpur Nagar	44	36	8							
32		Farrukhabad	35	14	21							
33		Etawah	36	13	23							
34		Auraiya	34	13	21							
		Total	228	112	116	45	71	45	3	168000	RHFWTC	168000
35	Jhansi	Banda	57	13	44							
36		Mahoba	21	4	17							
37		Jalaun	44	12	32							
38		Hamirpur	45	10	35							
39		Jhansi	46	26	20							
40		Chitrakoot	35	40	-5							
41		Lalitpur	31	10	21							
		Total	279	115	164	60	104	60	4	224000	RHFWTC	224000
42	Faizabad	Gonda	68	3	65							
43		Faizabad	41	14	27							
44		Shrawasti	20	13	7							
45		Sultanpur	84	22	62							
46		Barabanki	71	17	54							
47		Ambedkar Nagar	36	12	24							
48		Bahraich	67	7	60							
49		Balrampur	35	10	25							
		Total	422	104	318	60	258	90	6	336000	RHFWTC	336000

181

50	Gorakhpur	Gorakhpur	82	38	44							
51		Siddharth Nagar	73	12	61							
52		Maharajganj	48	15	33							
53		Sant Kabir Nagar	27	5	22							
54		Deoria	86	20	66							
55		Basti	46	19	27							
56		Kushinagar	74	22	52							
		Total	436	131	305	75	230	75	5	280000	RHFWTC	280000
57	Lucknow	Lakhimpur Kheri	73	13	60							
58		Sitapur	82	13	69							
59		Lucknow	39	9	30							
60		Unnav	58	12	46							
61		Hardoi	78	19	59							
62		Rae Bareli	79	17	62							
		Total	409	83	326	60	266	75	5	280000	RHFWTC	280000
63	Varanasi	Ghazipur	74	13	61							
64		Sant Ravidas Nagar	22	6	16							
65		Jaunpur	96	20	76							
66		Sonbhadra	34	6	28							
67		Varanasi	38	27	11							
68		Mirzapur	33	4	29							
69		Ballia	91	6	85							
70		Chandauli	35	15	20							
71		Azamgarh	107	24	83							
72		Maunathbhanjan	47	11	36							
		Total	577	123	454	90	364	90	6	336000	RHFWTC	336000
TOTAL			3731	1200	2531	660	1871	660	44	2464000		2464000

182 (185)

एडोल्सेन्ट रिप्रोडक्टिव एन्ड सैक्शुल हेल्थ (अर्श) विषय पर प्रशिक्षण के संबंध में दिशा निर्देश

प्रशिक्षण अवधि 2013–14

ए.एन.एम. एवं एल.एच.वी. हेतु

आप अवगत हैं कि किशोरियों के स्वास्थ्य के लिये प्रदेश में **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 'Adolescent Reproductive & Sexual Health'** (अर्श) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।इसके अन्तर्गत किशोरियों के शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाये प्रदान की जा रही है। इस हेतु समस्त ए0एन0एम0 व एल0एच0वी0 को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।वर्ष 2013–14 की पी.आई.पी. के अनुसार यह **प्रशिक्षण आपके जनपद में आयोजित** किया.जाना है। इस हेतु धनराशि, एन0आर0एच0एम0 द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की गयी है।

ए0एन0एम0 व एल0एच0वी0 को 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर के प्रशिक्षण हेतु संबंधित सम्भगीय प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण टीम उपलब्ध है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में निमनवत अवगत कराना हैं–

1–जिन जनपदों में निम्नानुसार प्रशिक्षण टीम पूर्ण है वहाँ शीघ्र प्रशिक्षण आरम्भ किया जाना है

2–जिन जनपदों में प्रशिक्षण टीम पूर्ण नहीं है/स्थानान्तरित हो गयी है, उन जनपदों के लिये जनपद में उपलब्ध प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षिण करा लिया जाय।

जनपद स्तर पर प्रशिक्षण टीम का निम्नवत गठन किया गया है –

1. दो स्त्री रोग विशेषज्ञ
2. दो बाल रोग विशेषज्ञ
3. **जनपद स्तरीय प्रशिक्षण** केन्द्र से दो पी.एच.एन./ट्यूटर अथवा जिन जनपदों में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं वहाँ से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी।

इस प्रकार प्रशिक्षण टीम में एक जनपद से कुल 6 सदस्य होंगे। एक बार में चार सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण टीम के शेष दो सदस्य आवश्यकतानुसार चक्रवार सहयोग देते रहेंगे।

प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है –

1. ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्यभार एवं प्रतिभागियों का चयन

आपके प्रशिक्षण केन्द्र पर जनपद स्तर पर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपके जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ए0एन0एम0 व एल0एच0वी0 के 3 बैच 90 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना हैं। प्राथमिकता के आधार पर एक्रीडेटिड उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 को प्रशिक्षित किया जाय। इस हेतु रू0 2.10 लाख (71000/–बैच) की धनराशि राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई (एस0पी0एम0यू0) द्वारा अवमुक्त की गयी है।

2. प्रशिक्षण बैच में प्रतिभागियों की संख्या–

एक बैच में 30 प्रतिभागी (ए0एन0एम0/एल0एच0वी0) होंगे। धनराशि की गणना एक बैच में 30 प्रतिभागी के अनुसार की गयी है। जनपदवार कार्यभार एवं आवंटित धनराशि की सूची संलग्न है (संलग्नक–1)।

183 (186) ②

	Cost calculation per batch (for a batch of 30 Participants)				
S.N.	**Item**	**Rate**	**Days**	**Number/units**	**Amount in Rs.**
1	Perdium to participants	300	3	30	27000
2	Food for participants	150	3	30	13500
3	Food for trainers	150	3	5	2250
4	HonorariumState Level Guest Faculty	1000	3	1	3000
5	Honorarium to in House - Faculty	500	3	4	6000
6	Contingency				5000
A	**Total**				**56750**
7	Institutional Overhead				5000
8	TA to participants actual as per NRHM norms)				4150
9	TA to State Level Guest Faculty /StateObservers (actual as per NRHM norms)				5100
B	**Grand Total**				**71000**
Note-Honorarium to Group C in-house Faculty and Participants will be paid @ Rs.300 per day					

3. प्रशिक्षण सामग्री

प्रशिक्षण हेतु ए.एन.एम. एव एल.एच.वी. को सभी प्रतिभागियों को पेन ,पैड ,कार्यक्रम सारिणी, मॉड्यूल की फाटो कॉपी दिया जाना हैं। इसके लिए कन्टीजेन्सी से व्यवस्था की जा सकती है। प्रत्येक बैच में प्रीटेस्ट एवं पेारस्ट–टेस्ट भी किया जाय।

4. क्लास रूम व्यवस्था

क्लास रूम में व्हाइट बोर्ड, 6'X 4' डस्टर, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर –स्टैण्ड, बोल्ड मार्कर, स्केच पेन, टेप, कैची आदि उपलब्ध हों। प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व फ्लिप चार्ट तैयार कर लें। प्रशिक्षण के दौरान जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। जिन जनपदों में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं वहॉ जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अथवा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध मीटिंग हाल आदि में वार्ता कक्ष की व्यवस्था की जाय।

5. **प्रशिक्षण अवधि**

यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय होगा। अतः प्रतिभागियों का योगदान प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्रात :9.30 बजे सुनिश्चित किया जाय तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन सायं 5.00 बजे सत्र कार्यक्रम सारणी के अनुसार समाप्ति की जाय।

6. **प्रशिक्षण सारिणी एवं प्रशिक्षण आयोजन**

प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम सारिणी संलग्न है (संलग्नक–2)। एक प्रशिक्षण दिवस में 5 सत्रों का आयोजन किया जायेगा तथा एक दिन में अधिकतम 5 प्रशिक्षकों का भुगतान किये जाने का प्राविधान हैं।

प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक दिन सायं प्रशिक्षकों की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें गतिविधियां एवं माड्यूल के अनुसार यदि कोई बिन्दु छूट गया हो, तो उस पर चर्चा की जायेगी। अगले दिन की तैयारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यवाही को कोर्स रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया जायेगा।

7. **प्रशिक्षण कैलेण्डर**

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर संलग्न है (संलग्नक--3)। कृपया इसी के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करायें। प्रशिक्षण आयोजन की तिथियों में यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो प्रशिक्षण आयोजन की प्रस्तावित तिथि से संस्थान को सूचित करने का कष्ट करें।

8. **प्रशिक्षण के दौरान रहने की व्यवस्था**

यह प्रशिक्षण आवासीय है। अतः प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था यथासम्भव छात्रावास में की जानी है। प्रशिक्षण के दौरान दोनो समय चाय, नाश्ता, भोजन आदि की सम्पूर्ण व समुचित व्यवस्था की जानी है।

9. वित्तीय व्यवस्था

1. **वित्तीय व्ययों हेतु** तालिका पूर्व पृष्ठ पर अंकित है। प्रतिभागियों को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से परडियम का भुगतान किया जाना है।
2. **प्रतिभागियों के सम्पूर्ण** भोजन दोनों समय, चाय नाश्ता आदि के लिए रू0 150.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से अनुमन्य है।
3. **एक दिन में अधिकतम कुल 5** प्रशिक्षक देंगे। इनमें इन हाउस फैकेल्टी (जिन्हें सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।) को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से (चिकित्साधिकारी अथवा समतुल्य वेतनमान के प्रशिक्षक को) मानदेय का भुगतान किया जायेगा। चिकित्साधिकारी से कम वेतनमान के प्रशिक्षकों को रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान स्तर से यथा सम्भव प्रशिक्षक नामित किये जायेंगे। प्रशिक्षक को रू0 1000.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय , ठहरने की व्यवस्था हेतु एन0आर0एच0एम0 के मानक के अनुसार अधिकतम रू0800.00 प्रति दिन की सीमा तक तथा यात्रा व्यय का भुगतान एन0आर0एच0एम0 के मानक के अनुसार किया जायेगा।
4. **राज्य स्तर से प्रशिक्षक के न आने पर केवल 4 प्रशिक्षकों द्वारा ही 5 सत्र का आयोजन किया जायेगा। एसी स्थिति में केवल 4 प्रशिक्षकों का ही भुगतान किया जायेगा।**
5. इस प्रशिक्षण हेतु एक बैच में रू0 5000.00 की सीमा तक कन्टीजेन्सी अनुमन्य हैं। इससे प्रतिभागियों को पेन ,पैड व चार्ट पेपर,मॉड्यूल आदि की व्यवस्था की जानी है।
6. प्रशिक्षण में प्रतिभागियों व प्रशिक्षकों के मानदेय, भोजन व कन्टीजेन्सी के व्ययों का लगभग 10 प्रतिशत रू0 5000.00 निश्चित धनराशि प्रति बैच इन्स्टि्टयूशनल ओवरहेड के रूप में अनुमन्य है। इससे क्लास रूम व छात्रावास हेतु बिजली, पानी, ठहरने आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
7. प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि की सूचना संस्थान,महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को अवश्य दी जाय।

188/185 (4)

8. प्रशिक्षण का बैचवार व्यय विवरण संलग्न प्रारूप सं0...4.... पर प्रशिक्षण वार व्यय विवरण, प्रतिभागियों की सूची एवं सत्र के बैच फोटाग्राफ सहित एन0आर0एच0एम0 को अवश्य प्रेषित किया जाय। जिसकी एक प्रति राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इंदिरा नगर, लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।

10. अनुश्रवण

1. प्रशिक्षण आयोजन की तिथियां प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया इन्ही तिथियों में प्रशिक्षण आयोजन कराने का कष्ट करें, जिससे संस्थान द्वारा गेस्ट फेकेल्टी को प्रशिक्षण के दौरान भेजा जा सके तथा उनके द्वारा अनुश्रवण भी कराया जा सके। यदि तिथियों में परिवर्तन किया जाना है तो संस्थान को फैक्स द्वारा (0522.–2310679) प्रशिक्षण आयोजन के एक सप्ताह पूर्व सूचित करने का कष्ट करें। सूचना प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि प्रशिक्षण निर्धारित तिथि में आयोजित किया जा रहा है तथा संस्थान द्वारा अतिथि वार्ताकार भेज दिये जायेगे।
2. प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय। समय – समय पर आप एवं प्रशिक्षण कार्यकम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण सत्र का अनुश्रवण किया जाय।
3. इस प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग इसी प्रशिक्षण में किया जाय। प्रशिक्षण के मानकों का कड़ाइ से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिता के लिये आप व्यक्तिगत रूप से उततरदायी होंगे।
4. प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट,प्रतिभागियों की फीड बैक व अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाये।

महानिदेशक परि० कल्याण
कृपया अनुमोदन देना चाहें

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

एडोल्सेन्ट रिप्रोडक्टिव एन्ड सैक्शुल हेल्थ (अर्श) विषय पर प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2013–14के दिशा निर्देश का अनुमोदन किया जाता है।

महानिदेशक
परिवार कल्याण

Comprehensive Training Plan for ARSH Training for ANM&LHV 2013-14

SN	District Name	Load for the year 2013-14 (30Participants per batch)	Total Batch	Amount to be released (Cost per Batch Rs 71000)	Money to be released to CMO of the concerned District
1	Agra	90	3	213000	Agra
2	Aligarh	90	3	213000	Aligarh
3	Allahabad	90	3	213000	Allahabad
4	Ambedkar Nagar	90	3	213000	Ambedkar Nagar
5	Auraiya	90	3	213000	Auraiya
6	Azamgarh	90	3	213000	Azamgarh
7	Bagpat	90	3	213000	Bagpat
8	Bahraich	90	3	213000	Bahraich
9	Ballia	90	3	213000	Ballia
10	Balrampur	90	3	213000	Balrampur
11	Banda	90	3	213000	Banda
12	Barabanki	90	3	213000	Barabanki
13	Bareilly	90	3	213000	Bareilly
14	Basti	90	3	213000	Basti
15	Bijnor	90	3	213000	Bijnor
16	Budaun	90	3	213000	Budaun
17	Bulandshahar	90	3	213000	Bulandshahar
18	Chandauli	90	3	213000	Chandauli
19	Chitrakoot	90	3	213000	Chitrakoot
20	Deoria	90	3	213000	Deoria
21	Etah	90	3	213000	Etah
22	Etawah	90	3	213000	Etawah
23	Faizabad	90	3	213000	Faizabad
24	Farrukhabad	90	3	213000	Farrukhabad
25	Fatehpur	90	3	213000	Fatehpur
26	Firozabad	90	3	213000	Firozabad
27	Gautam Buddha Nagar	90	3	213000	Gautam Buddha Nagar
28	Ghaziabad	90	3	213000	Ghaziabad
29	Ghazipur	90	3	213000	Ghazipur

(190) 187

SN	District Name	Load for the year 2013-14 (30Participants per batch)	Total Batch	Amount to be released (Cost per Batch Rs 71000)	Money to be released to CMO of the concerned District
30	Gonda	90	3	213000	Gonda
31	Gorakhpur	90	3	213000	Gorakhpur
32	Hamirpur	90	3	213000	Hamirpur
33	Hardoi	90	3	213000	Hardoi
34	Hathras	90	3	213000	Hathras
35	Jalaun	90	3	213000	Jalaun
36	Jaunpur	90	3	213000	Jaunpur
37	Jhansi	90	3	213000	Jhansi
38	Jyotiba Phule Nagar	90	3	213000	Jyotiba Phule Nagar
39	Kannauj	90	3	213000	Kannauj
40	Kanpur Dehat (Ramabai nagar)	90	3	213000	Kanpur Dehat (Ramabai nagar)
41	Kanpur Nagar	90	3	213000	Kanpur Nagar
42	Kashi Ram Nagar	90	3	213000	Kashi Ram Nagar
43	Kaushambi	90	3	213000	Kaushambi
44	Kushinagar	90	3	213000	Kushinagar
45	Lakhimpur Kheri	90	3	213000	Lakhimpur Kheri
46	Lalitpur	90	3	213000	Lalitpur
47	Lucknow	90	3	213000	Lucknow
48	Maharajganj	90	3	213000	Maharajganj
49	Mahoba	90	3	213000	Mahoba
50	Mainpuri	90	3	213000	Mainpuri
51	Mathura	90	3	213000	Mathura
52	Maunathbhanjan	90	3	213000	Maunathbhanjan
53	Meerut	90	3	213000	Meerut
54	Mirzapur	90	3	213000	Mirzapur
55	Moradabad	90	3	213000	Moradabad
56	Muzaffarnagar+	90	3	213000	Muzaffarnagar
57	Pilibhit	90	3	213000	Pilibhit
58	Pratapgarh	90	3	213000	Pratapgarh
59	Rae Bareli	90	3	213000	Rae Bareli

SN	District Name	Load for the year 2013-14 (30Participants per batch)	Total Batch	Amount to be released (Cost per Batch Rs 71000)	Money to be released to CMO of the concerned District
60	Rampur	90	3	213000	Rampur
61	Saharanpur	90	3	213000	Saharanpur
62	Sant Kabir Nagar	90	3	213000	Sant Kabir Nagar
63	Sant Ravidas Nagar	90	3	213000	Sant Ravidas Nagar
64	Shahjahanpur	90	3	213000	Shahjahanpur
65	Shrawasti	90	3	213000	Shrawasti
66	Siddharth Nagar	90	3	213000	Siddharth Nagar
67	Sitapur	90	3	213000	Sitapur
68	Sonbhadra	90	3	213000	Sonbhadra
69	Sultanpur	90	3	213000	Sultanpur
70	CSM nagar	90	3	213000	CSM nagar
71	Unnav	90	3	213000	Unnav
72	Varanasi	90	3	213000	Varanasi
73	Prabuddh nagar	90	3	213000	Prabuddh nagar
74	Bhimsinghnagar	90	3	213000	Bhimsinghnagar
75	Panchsheelnagar	90	3	213000	Panchsheelnagar
	TOTAL	**6750**	**225**	**15975000**	

Note

The training will be organized at District level, hence fund to be released at DHS of concirned Districts

The Training of Newly formed District will be organized at D

Programme Schedule for District Level Training
Adolescent Reproductive and Sexual Health(ARSH)
Duration: 3Days
Venue :

Day & Date	Timing	Session	Topic	
Day-1	10.00-10.30	Session- I	Registration	
	10.30-11.00		Welcome address& Orientation about Training Programme	
	11.00-11.15		Tea- Break	
	11.15-12.00	Session- II	Objective of the workshop Introduction- Module-1	
	12.00-1.00	Session- III	Adolescent Growth and Development Module-2	
	1.00-2.00		Lunch	
	2.00-3.15	Session- IV	Communicating with Adolescent Client Module-3	
	3.15-3.30		Tea- Break	
	3.30-5.00	Session- V	Nutrition &Anemia in Adolescent Module-6	

Day &Date	Timing	Session	Topic	
Day-2	9.00-10.00	Session-I	AFHS Module-4	
	10.00-11.15	Session-II	AFHS Module-4	
	11.15-11.30		Tea- Break	
	11.30-1.00	Session-III	Sexual and Reproductive Health Concern of Boys and Girls Module-5	
	1.00-2.00		Lunch	
	2.00-3.15	Session-IV	Sexual and Reproductive Health concern of Boys and Girls Module-5	
	3.15-3.30		Tea- Break	
	3.30-5.00	Session-V	Unsafe abortion in Adolescent Sexual and Module-7	

Day &Date	Timing	Session	Faculty	
Day-3	9.00-10.00	Session-I	Contraception For Adolescent-Module 8	
	10.00-11.15	Session-II	Contraception For Adolescent-Module 8	
	11.15-11.30		Tea- Break	
	11.30-1.00	Session-III	RTI,STI &HIV/AIDS in Adolescent Module-9	
	1.00-2.00		Lunch	
	2.00-3.15	Session-IV	Concluding Module-10	
	3.15-3.30		Tea- Break	
	3.30-5.00	Session-V	Valedictory and Office Formality	

संलग्नक-3

(185) 190

Training Calender for ARSH Training for ANM&LHV 2013-14

SN	District Name	Traiining dates	
1	Agra	29-31August	4-6,9-11 Sep
2	Aligarh	29-32August	4-6,9-11 Sep
3	Allahabad	29-33August	4-6,9-11 Sep
4	Ambedkar Nagar	9-11 Sept	18-20,23-25Sep
5	Auraiya	9-11 Sept	18-20,23-25Sep
6	Azamgarh	9-11 Sept	18-20,23-25Sep
7	Bagpat	9-11 Sept	18-20,23-25Sep
8	Bahraich	9-11 Sept	18-20,23-25Sep
9	Ballia	9-11 Sept	18-20,23-25Sep
10	Balrampur	9-11 Sept	23-25,26-28Sep
11	Banda	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
12	Barabanki	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
13	Bareilly	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
14	Basti	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
15	Bijnor	26-28Sep	3-5,7-9 Oct
16	Budaun	24-26Sep	3-5,7-9 Oct
17	Bulandshahar	24-26Sep	3-5,7-9 Oct
18	Chandauli	24-26Sep	3-5,7-9 Oct
19	Chitrakoot	24-26Sep	3-5,7-9 Oct
20	Deoria	24-26Sep	3-5,7-9 Oct
21	Etah	24-26Sep	3-5,7-9 Oct
22	Etawah	3-5,7-9 Oct	24-26 Oct
23	Faizabad	3-5,7-9 Oct	24-26 Oct
24	Farrukhabad	3-5,7-9 Oct	24-26 Oct
25	Fatehpur	3-5,7-9 Oct	24-26 Oct
26	Firozabad	3-5,7-9 Oct	24-26 Oct
27	Gautam Buddha Nagar	3-5,7-9 Oct	24-26 Oct
28	Ghaziabad	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
29	Ghazipur	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
30	Gonda	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
31	Gorakhpur	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
32	Hamirpur	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
33	Hardoi	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
34	Hathras	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
35	Jalaun	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
36	Jaunpur	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
37	Jhansi	7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct

SN	District Name	Traiining dates	
		7-9 Oct	21-23 , 24-26Oct
38	Jyotiba Phule Nagar		
39	Kannauj	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
40	Kanpur Dehat (Ramabai nagar)	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
41	Kanpur Nagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
42	Kashi Ram Nagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
43	Kaushambi	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
44	Kushinagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
45	Lakhimpur Kheri	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
46	Lalitpur	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
47	Lucknow	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
48	Maharajganj	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
49	Mahoba	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
50	Mainpuri	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
51	Mathura	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
52	Maunathbhanjan	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
53	Meerut	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
54	Mirzapur	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
55	Moradabad	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
56	Muzaffarnagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
57	Pilibhit	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
58	Pratapgarh	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
59	Rae Bareli	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
60	Rampur	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
61	Saharanpur	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
62	Sant Kabir Nagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
63	Sant Ravidas Nagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
64	Shahjahanpur	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
65	Shrawasti	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
66	Siddharth Nagar	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
67	Sitapur	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
68	Sonbhadra	11-13 Sept	23-25,26-28Sep
69	Sultanpur	18-20,23-25Sep	26-28 Sept
70	CSM Nagar		
71	Unnav	18-20,23-25Sep	26-28 Sept
72	Varanasi	18-20,23-25Sep	26-28 Sept
73	Prabuddhnagar	18-20,23-25Sep	26-28 Sept
74	Bhimsingh Nagar	18-20,23-25Sep	26-28 Sept
75	Panchsheel nagar	18-20,23-25Sep	26-28 Sept

195 192

संलग्नक–4

Expenditure Profarma for ARSH Training 2012-13 (FMR Code - A.9.7.4)

Number of Actual Participants---

-- Batch no --- Date--------

Cost calculation per batch (for a batch of 30 Participants)

S.N.	Item	Rate	Days	Number/ units	Amount in Rs.	Expenditure	Balance
1	Perdium to participants	300	3	30	27000		
2	Food for participants	150	3	30	13500		
3	Food for trainers	150	3	5	2250		
4	HonorariumState Level Guest Faculty	1000	3	1	3000		
5	Honorarium to in House - Faculty	500	3	4	6000		
6	Contingency				5000		
A	**Total**				**56750**		
7	Institutional Overhead				5000		
8	TA to participants actual as per NRHM norms)				4150		
9	TA to State Level Guest Faculty /StateObservers (actual as per NRHM norms)				5100		
B	**Grand Total**				**71000**		

Note-Honorarium to Group C in-house Faculty and Participants will be paid @ Rs.300 per day

आर0टी0आई0 / एस0टी0आई0 इन्डक्शन प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दिशानिर्देश

प्रशिक्षण स्थल— जिला मुख्यालय / जिला चिकित्सालय / जिला महिला चिकित्सालय

प्रशिक्षण की अवधि— दो दिवसीय

प्रतिभागी— चिकित्साधिकारी

(1) आर.टी.आई. / एस.टी.आई. प्रशिक्षण के उद्देश्य

1. गुणवत्तापरक आर.टी.आई. / एस.टी.आई. सेवा सुनिश्चित किया जाना।
2. चिकित्साधिकारियों के आर.टी.आई. / एस.टी.आई. के ज्ञान एवं कौशल क्षमता में वृद्वि करना।
3. समुदाय में आर.टी.आई. / एस.टी.आई. की समस्या की स्थिति को समझना।
4. यदि सामान्य आर.टी.आई. / एस.टी.आई. समस्या का समय पर उपचार न हो तो उनके गम्भीर रूप लेने एवं लम्बी अवधि में उनके असर को समझ पाना।
5. सामान्य आर.टी.आई. / एस.टी.आई. की पहचान एवं उनका उपचार कर पाना।
6. लाभार्थियों को आर.टी.आई. / एस.टी.आई. से बचाव एवं इसके पूर्ण उपचार कराने के लिए शिक्षित करना।
7. पहचाने गए लाभार्थियों के पार्टनर्स का भी उपचार करना।

(2) प्रशिक्षण आयोजन सम्बन्धी दिशानिर्देश :—

क—प्रशिक्षण स्थल का चयन :—

आर0टी0आई0 / एस0टी0आई0 प्रशिक्षण के चयनित जनपदों में जिला मुख्यालय / जिला चिकित्सालय / जिला महिला चिकित्सालयों में आयोजित किया जाना है।

ख—प्रशिक्षकों का चयन:—

वित्तीय वर्ष 2010–11 में एन.आर.एच.एम. उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी एवं राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0 के बीच समन्वय से प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रत्येक जनपद से तीन—तीन चिकित्साधिकारियों को राज्य स्तरीय टी0ओ0टी0 में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। जनपद स्तरीय आर0टी0आई0 / एस0टी0आई0 प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। यदि जनपद में मास्टर ट्रेनर्स उपलब्ध नहीं है तो अपने जनपद के निकटम जनपदों से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया जा सकता है (प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों की सूची संलग्न, संलग्नक—1)। प्रतिदिन दो अतिथि संकाय के सत्र रखे जा सकते हैं।

ग–**प्रतिभागियों का चयनः–**

यह प्रशिक्षण चयनित जनपदों के उप जनपदीय स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों (एफ0 आर0 यू0, सी0एच0सी,बी0पी0एच0सी0,एड.पी0एच0सी0,न्यू पी0एच0सी0इत्यादि) के चिकित्साधिकारियों को प्रदान किया जायेगा।

प– **प्रशिक्षण की अवधिः–**

इन्डक्शन ट्रेनिंग दो दिवसीय होगी।

फ. **बैच का आकार :–**

इस प्रशिक्षण में एक बैच में 30 प्रतिभागी सम्मिलित किए जाएंगे। किसी भी दशा में 15 प्रतिभागियों से कम होने पर बैच संचालित न किया जाए। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की उपस्थिति प्रतिदिन दोनों सत्रों में (पूर्वाह्न एवं अपराह्न) दर्ज करायी जाये।

ब–**प्रशिक्षण सामग्री :–**

इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को निम्नलिखित माड्यूल की छाया प्रति उपलब्ध करायी जानी है–

- Participants Hand out (Training of Medical Officers to deliver RTI/STI services)
- Operational Guideline (for programme Managers and service Providers for strengthening RTI/STI services)
- Power Point Presentation (Soft copy use in training)

उपरोक्त माड्यूल एवं सीडी राज्य स्तरीय टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के पास उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में निम्नलिखित सामान का उपलब्ध होना आवश्यक है।

- RTI/STI Color Coded Drug Kits.
- Condom
- Penis Model

उपरोक्त सामान जिला चिकित्सालय की सुरक्षा क्लीनिक RTI/STI Clinic से प्राप्त किया जा सकता है।

(3) वित्तीय मानक

1. इस प्रशिक्षण के आयोजन एवं संचालन हेतु जनपद के अपर/उप मु0चि0अ0 (नोडल अधिकारी आर0सी0एच0–2) प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी (नोडल अधिकारी/ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर) होंगे।

2. वर्ष 2013–14 में आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 इन्डक्शन प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच रू0 72,660/– आवंटित किये गये है जिसे निम्नानुसार व्यय किया जाना है।

क.सं.	मद का नाम	दर	प्रतिभागियों की सं0	इकाई/दिन	कुल धनराशि
1	पर डायम (प्रतिभागियों के लिए)	400	30	02	24000
2	भोजन प्रतिभागियों एवं दो प्रशिक्षकों के लिए	150	32	02	9600
3	मानदेय (प्रशिक्षकों के लिए)	500	05	02	5000
4	आकस्मिक व्यय (भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये माड्यूल की छाया प्रति, स्टेशनरी, ट्रेनिंग मटेरियल, पी.ओ.ल. आदि)	200	30	02	12000
क0सं0–(1+2+3+4)				योग	50600
5	आई0ओ0एच0(10 प्रतिशत उपयोग)	—	—	—	5060
6	टी0ए0(राज्य सरकार के मानक के आधार पर अनुमानित वास्तविक व्यय)	500	30	1	15000
दूसरे जनपद से आने वाले प्रशिक्षक का अनुमानित टी0ए0–					2000/–
01 बैच का कुल योग					72660

3.वित्तीय व्यवस्थाओं हेतु दिशा निर्देशः–

आकस्मिक व्यय कन्टिन्जेंसी मद हेतु धनराशि प्राविधानित है। जिसका व्यय निम्न आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता हे परन्तु व्यय विवरण वास्तविक व्यय के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

1. प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण सामग्री, फोटो कॉपी माड्यूल की छाया प्रति एवं स्पाईरल वाईडिंग/काम्ब वाईडिंग पर होने वाला व्यय।
2. प्रशिक्षण अवधि में आवश्यकतानुसार साफ–सफाई आदि कार्य हेतु पारिश्रमिक (अतिरिक्त स्टाफ) आदि।
3. रजिस्टर,पेन, पेन्सिल, कटर आदि।
4. पी0ओ0एल वाहन एवं जनरेटर हेतु।
5. मिस्लेनियस व्यय– फोटोग्राफी आदि।
6. प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग हेतु डिस्पोजिबिल उपस्कर।
7. तालिका में दर्शाये गये बिन्दु 1,2,3,4 में व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के अन्दर ही अनुमन्य होगा।
8. तालिका में दर्शाये गये बिन्दु 5 इन्सिट्टयूशनल ओवर हेड की धनराशि से प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण अविध में बिजली, पानी एवं प्रशिक्षण संबंधित अन्य व्यवस्था की जा सकती है। प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु उक्त धनराशि व्यय न करें।
9. प्रतिभागियों को दिये जाने वाले डी0ए0 में उनके ठहरने का व्यय भी शामिल है।
10. यह प्रशिक्षण किसी भी दशा में 15 से कम प्रतिभागियों पर नहीं चालाया जाना चाहिए।
11. सभी बिल वाउचर जनपद स्तर पर भविष्य में आडिट आदि के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे।
12. किसी भी दशा में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अन्य किसी प्रशिक्षण मद में व्यय न किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो आप व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. आपके जनपद में आयोजित किये जाने वाले आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है उन्हें कृपया पुनः नामित न करें।

रिपोर्टिंग

प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिवसों के अन्दर ट्रेनिंग रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 उ0प्र0 लखनऊ महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ व उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी लखनऊ को अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

Training report should include:- Training Schedule, Participants list (with Mobile Numbers) Attendance Sheet Master Trainers List(with Mobile Numbers Photo Copy of Group Photo Grarphs)

किसी भी प्रशिक्षण के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 उ0प्र0 लखनऊ महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ व उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी लखनऊ को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश स्तर से हेतु किसी अधिकारी को भेज जा सकें।

महानिदेशक परि० कल्याण
कृपया उपरोक्त पर अनुमोदन देना चाहें

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 इन्डक्शन प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2013–14 के उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किया जाता है।

महानिदेशक
परिवार कल्याण

आर0टी0आई0 / एस0टी0आई0 इन्डक्शन प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रति बैच रू0 72,600 आवंटित किये गये है जिसे निम्नानुसार व्यय किया जाना है:–

क्र.सं.	मद का नाम	दर	प्रतिभागियों की सं0	इकाई / दिन	कुल धनराशि
1	पर डायम (प्रतिभागियों के लिए)	400	30	02	24000
2	भोजन प्रतिभागियों एवं दो प्रशिक्षकों के लिए	150	32	02	9600
3	मानदेय (प्रशिक्षकों के लिए)	500	05	02	5000
4	आकस्मिक व्यय (भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये माड्यूल की छाया प्रति, स्टेशनरी, ट्रेनिंग मटेरियल, पी.ओ.ल. आदि)	200	30	02	12000
क0सं0–(1+2+3+4)			योग		50600
5	आई0ओ0एच0(10 प्रतिशत उपयोग)	–	–	–	5060
6	टी0ए0(राज्य सरकार के मानक के आधार पर अनुमानित वास्तविक व्यय)	500	30	1	15000
दूसरे जनपद से आने वाले प्रशिक्षक का अनुमानित टी0ए0–					2000/–
01 बैच का कुल योग					72660

(2d) 198

RTI/STI Training Plan for Mos 2013-14

S.N.	Districts	Load for the Year 2013-14 (30 Participants per Batch)	Total Batch	Amount to be released cost per batch Rs. 72660)	Money to be released to CMO of the concerned District
1	Agra	30	1	72660	Agra
2	Aligarh	60	2	145320	Aligarh
3	Allahabad	30	1	72660	Allahabad
4	Auraiya	30	1	72660	Auraiya
5	Azamgarh	60	2	145320	Azamgarh
6	Baghpat	30	1	72660	Baghpat
7	Ballia	90	3	217980	Ballia
8	Balrampur	30	1	72660	Balrampur
9	Banda	60	2	145320	Banda
10	Barabanki	60	2	145320	Barabanki
11	Bareilly	60	2	145320	Bareilly
12	Basti	60	2	145320	Basti
13	Bijnor	60	2	145320	Bijnor
14	Badaun	90	3	217980	Badaun
15	Bulandshahar	90	3	217980	Bulandshahar
16	Chandauli	30	1	72660	Chandauli
17	CSM nagar(Amethi)	60	2	145320	CSM nagar(Amethi)
18	Deoria	90	3	217980	Deoria
19	Etah	30	1	72660	Etah
20	Etawah	30	1	72660	Etawah
21	Faizabad	60	2	145320	Faizabad
22	Farrukhabad	30	1	72660	Farrukhabad
23	Fatehpur	60	2	145320	Fatehpur
24	Firozabad	60	2	145320	Firozabad
25	GB Nagar	30	1	72660	GB Nagar
26	Ghaziabad	60	2	145320	Ghaziabad
27	Ghazipur	90	3	217980	Ghazipur
28	Gorakhpur	30	1	72660	Gorakhpur
29	Hamirpur	30	1	72660	Hamirpur
30	Hapur	30	1	72660	Hapur
31	Hardoi	90	3	217980	Hardoi
32	Hathras	30	1	72660	Hathras
33	Jalaun	30	1	72660	Jalaun
34	Jaunpur	120	4	290640	Jaunpur
35	Jhansi	60	2	145320	Jhansi
36	JP Nagar	30	1	72660	JP Nagar
37	Kannauj	30	1	72660	Kannauj
38	Kanpur Dehat	30	1	72660	Kanpur Dehat
39	Kanshiramnagar	30	1	72660	Kanshiramnagar
40	Kaushambi	60	2	145320	Kaushambi
41	Lakhimpur Kheri	30	1	72660	Lakhimpur Kheri
42	Lalitpur	30	1	72660	Lalitpur
43	Maharajganj	30	1	72660	Maharajganj

P.T.O

S.N.	Districts	Load for the Year 2013-14 (30 Participants per Batch)	Total Batch	Amount to be released cost per batch Rs. 72660)	Money to be released to CMO of the concerned District
44	Mahoba	30	1	72660	Mahoba
45	Mainpuri	60	2	145320	Mainpuri
46	Meerut	30	1	72660	Meerut
47	Mirzapur	60	2	145320	Mirzapur
48	Muzaffarnagar	60	2	145320	Muzaffarnagar
49	Pilibhit	30	1	72660	Pilibhit
50	Pratapgarh	90	3	217980	Pratapgarh
51	Raebareli	60	2	145320	Raebareli
52	Rampur	30	1	72660	Rampur
53	Saharanpur	60	2	145320	Saharanpur
54	SK Nagar	30	1	72660	SK Nagar
55	SR Nagar	30	1	72660	SR Nagar
56	Shahjahanpur	60	2	145320	Shahjahanpur
57	Shrawasti	30	1	72660	Shrawasti
58	Siddharthnagar	90	3	217980	Siddharthnagar
59	Sitapur	90	3	217980	Sitapur
60	Sonbhadra	30	1	72660	Sonbhadra
61	Sultanpur	60	2	145320	Sultanpur
62	Unnao	60	2	145320	Unnao
Total		**3150**	**105**	**7629300**	

① 203 199 200

एम0वी0ए0 विधि से एम.टी.पी. प्रशिक्षण के संबंध में दिशा निर्देश
प्रशिक्षण अवधि 2013–14

महिला चिकित्सा अधिकारियों हेतु

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ मृत्युदर में कमी लाने के लिये अनचाहे गर्भ के गर्भ समापन हेतु एम0टी0पी0 सेवायें समस्त प्रथम सन्दर्भन इकाई/ सामुदायिक/प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्ष 2013–14 की पी.आई.पी. के अनुसार महिला चिकित्साधिकारियों को 5 दिवसीय एम.वी.ए. विधि से एम.टी.पी. प्रशिक्षण देकर एम.वी.ए. तकनीक से एम.टी.पी. किये जाने हेतु सेवा प्रदाता तैयार किये जाने है जिससे प्रशिक्षण के पश्चात सेवा प्रदाता एम0वी0ए0 तकनीक से एम0टी0पी0 कर सकें। प्रशिक्षण देने हेतु आपके चिकित्सालय को प्रशिक्षण स्थल के रूप में चयनित किया गया है। यह प्रशिक्षण एम.टी.पी. एक्ट के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों को संज्ञान में लेते हुए दिया जाना है।

1. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आंवटित जनपद एवं कार्यभार

प्रशिक्षण हेतु आपके प्रशिक्षण केन्द्र पर आवंटित जनपद एवं कार्यभार (संलग्नक–1) के अनुसार प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाना है। संलग्न तालिका में प्रत्येक प्रशिक्षण इकाई को बैच आवंटित किये गये हैं। प्रशिक्षण के दौरान एक बैच में कुल 3 महिला चिकित्साधिकारी भाग लेंगी। तीन प्रतिभागी अवश्य बुलाये जाये। किसी भी दशा में दो से कम प्रतिभागियों पर बैच नहीं आयोजित किया जाना है।

2. प्रशिक्षण तिथियां

प्रशिक्षण हेतु तिथियां आप स्वयं निर्धारित कर संबंधित जनपदों को सूचित कर दें। प्रशिक्षण भार के अनुक्रम में ससमय प्रशिक्षण आयोजित कराने का कष्ट करें तथा जिन तिथियों में आपके यहां बैच आयोजित किया जा रहा है इसकी सूचना संस्थान महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी प्रेषित करने का कष्ट करें। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए संस्थान स्तर से तिथियां निर्धारित नहीं की जा रही है। पूरा प्रयास करें कि प्रशिक्षण माह जनवरी 2014 तक पूर्ण करा लिया जाए।

3. प्रतिभागियों का नामांकन

प्रतिभागियों का नामांकन संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। ध्यान रखें कि इस प्रशिक्षण में वे चिकित्साधिकारी ही प्रतिभाग करेंगे जो डी.जी.ओ., एम.एस. हैं या एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक जो पूर्व से एम.टी.पी. कर रही है तथा एम.टी.पी. एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

4. वार्ताकक्ष व्यवस्था

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को वार्तायें भी दी जाती है। इस हेतु आपरेशन थियेटर के पास ही व्यवस्था सुदृढ़ कर लें जिससे वार्ताकक्ष से आपरेशन थियेटर ले जाने में अधिक समय व्यर्थ न हो। इन्स्टिट्यूशनल ओवरहेड मद से वार्ताकक्ष हेतु व्यवस्था किया जा सकता है।

5. प्रशिक्षक

इस प्रशिक्षण में एक बैच में कुल 3 प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी जिसमें दो चिकित्साधिकारी तथा एक स्टाफ नर्स होंगी जो वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में प्रशिक्षित की जा चुकी हैं।

6. वित्तीय मानक

1. यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा। जिसमें प्रशिक्षक (चिकित्साधिकारी) को रू0 500/– प्रतिदिन व प्रशिक्षक (स्टाफ नर्स) को रू0 300/– प्रतिदिन की दर से मानदेय देय होगा।
2. प्रशिक्षार्थियों को रू0 400/– की दर से 5 दिवस का परडायम देय होगा।
3. प्रतिभागियों को भोजन दोनों समय (लंच व डिनर) व चाय, नाश्ता हेतु रू0 200/– प्रतिदिन की दर से अनुमन्य है। प्रशिक्षकों हेतु रू0 150/– प्रतिदिन की दर से एक समय भोजन (लंच) व चाय, नाश्ता अनुमन्य है। कृपया अनुमन्य धनराशि के अंतर्गत ही व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. कोर्स मैटेरियल (ट्रेनिंग मैनुअल व आवश्यक सामग्री) एवं कन्टीजेन्सी आदि हेतु रू0 400/– प्रति प्रतिभागी की दर से व्यय किया जाना है। ट्रेनिंग मैनुअल हेतु आई–पास संस्था नई दिल्ली से सम्पर्क करें।

5. प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता राजकीय नियमानुसार देय होगा।
6. आई.ओ.एच. मद से समस्त व्ययों का 10 प्रतिशत (टी.ए.को छोड़कर) ही अनुमन्य है जो वास्तविक व्यय आंकलन के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रतिभागियों को ठहरने हेतु अधिकतम रू0 800/- प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से एन0आर0एच0एम0 की अनुमन्यता के आधार पर व्यय किया जा सकता हैं।
7. संस्थान स्तर से नामित गेस्ट फेकेल्टी/मानिटर जाने पर मानदेय रू0 1000/- अधिकतम 2 दिवस हेतु तथा यात्रा भत्ता सरकारी नियमानुसार देय होगा। ठहरने की व्यवस्था हेतु एन0आर0एच0एम0 की अनुमन्यता के अनुसार रू0 800/- की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

इस प्रशिक्षण हेतु एक बैच के लिए रू0 52000/- की धनराशि अनुमन्य है। आपके केन्द्र में निर्धारित कार्यभार के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति को एम0एम0आर0 कोड ए .9.3.4.2 पर प्रेषित की जा रही है। (व्यय के मानक संलग्न है(संलग्नक-2)। धनराशि प्राप्त होते ही शीघ्र प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का कष्ट करें। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की सूचना संस्थान को अवश्य दें। समस्त व्यय विवरण प्रशिक्षण पूर्ण कराकर प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर एन0आर0एच0एम0 को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिसकी एक प्रति संस्थान को भी प्रेषित करने का कष्ट करे। साथ ही संस्थान को कार्स रिपोर्ट प्रतिभागियों की सूची भी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में प्रेषित करने का कष्ट करे।

8. इस प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के नाम व उनके तैनाती का स्थान एफ.आर.यू. की सूचना सस्थान, महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, विशाल कॉम्पलैक्स 19-ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ को संलग्न प्रारूप पर भर कर भेजना सुनिश्चित करें।

7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, निति प्रतिदिन प्रशिक्षण का अनुश्रवण करे प्रतिभागियों द्वारा समय पर आने जाने पर पूरा ध्यान दिया जाय। प्रशिक्षण आयोजन की फोटोग्राफी भी की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रशिक्षण के उपरान्त वे अपने तैनाती के स्थान पर गर्भसमापन की गुणवत्ता परक सेवायें प्रदान करने में सक्षम हो सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

महानिदेशक परि० कल्याण
कृपया अनुमोदन देना चाहें

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

एम0वी0ए0 विधि से एम.टी.पी. प्रशिक्षण विषय पर प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2013-14के दिशा निर्देश का अनुमोदन किया जाता है।

महानिदेशक
परिवार कल्याण

संलग्नक -1 (~~20~~) 262

SN.	Training site District Women Hospital	SN.	District/FRUAllotted	Total Training Load 2013-14	Batches	Amount Per batch @Rs52000
MVA/MTP Training FMR code A.9.3.4.2						
1	Ghaziabad	1	Meerut	3	1	52000.00
		2	Hapur			
		3	G.B.Nagar			
		4	Bijnor (3/b)			
		5	Ghaziabad			
2	Bulandsahar	6	Saharanpur	9	3	156000.00
		7	Muzzafarnagar			
		8	Shamli			
		9	Aligarh			
		10	Moradabad			
		11	Sambha (Bhimnagar)			
		12	Rampur			
		13	Bagpat			
		14	Agra			
		15	Bulandsahar			
		16	JPNagar			
3	Firozabad	17	Mahamaya Nagar	6	2	104000.00
		18	Mathura			
		19	Eta			
		20	Kanshiram Nagar			
		21	Manpuri			
		22	Firozabad			
4	Shahjahan pur	23	Bareilly	6	2	104000.00
		24	Baduan			
		25	Pilibhit			
		26	Shahjahanpur			
5	Lucknow	27	Lakhimpur	6	2	104000.00
		28	Hardoi			
		29	Sitapur			
		30	Raibareilly			
		31	Barabanki			
		32	Lucknow			
6	nao	33	Kanpur Nagar	6	2	104000.00
		34	Kanpur Dehat			
		35	Farrukhabad			
		36	Etawah			

	Un	37	Auria	6	2	104000.00
		38	Unnao			
		39	Kannauj			
		40	Santkabirnagar			
7	Bahraich	41	Basti	6	2	104000.00
		42	Faizabad			
		43	Shrawasti			
		44	Gonda			
		45	Gorakhpur			
		46	Kushinagar			
		47	Deoria			
		48	Mahrajganj			
		49	Siddharthnagar			
		50	Bahraich			
		51	Balrampur			
8	Varanasi	52	Ghazipur	6	2	104000.00
		53	Ballia			
		54	Mirzapur			
		55	Soebhadra			
		56	Saint Ravidas Nagar			
		57	Varanasi			
		58	Ambedkarnagar			
		59	Azamgarh			
		60	Mau			
		61	Chandauli			
9	Hamirpur	62	Maboha	6	2	104000.00
		63	Hamirpur			
		64	Jhansi			
		65	Lalitpur			
		66	Banda			
		67	Jalaun			
		68	Chitrakoot			
10	Allahabad	69	Sultanpur	6	2	104000.00
		70	CSM Nagar			
		71	Fatehpur			
		72	Pratapgarh			
		73	Jaunpur			
		74	Allahabad			
		75	Kaushambi			
				60	**20**	**1040000.00**

संलग्नक - 2

284

MTP/MVA Training Programme 2011-12
Programme Budget (District Level)
Duration - 5 days

Participants- 3 per Batch

Budget for one batch

SN	Items	Rate in Rs	No of part.	Days	Total
a	➢ Perdiem to participants(doctors)	400	3	5	6000
b	➢ Honorarium to trainers doctors@ Rs.500/day	500	2	5	5000
c	➢ Honorarium to trainers Nurses@ Rs.300/day	300	1	5	1500
d	➢ Food to trainer	150	3	5	2250
e	➢ Food to Participants	200	3	5	3000
f	➢ Course material and contingency(training manuals and other accessory materials)	400	3	5	6000
g	Stay arrangement for participants(actual as per NRHM norms)	800	3	5	12000
h	Honrarium to state guest faculty / monitor	1000	1	2	2000
i	Stay arrangement for Monitor from state (actual as per NRHM norms)	800	1	2	1600
	Institutional overheads (10% of actual expenditure on a+b+c+d+e+f+g+h+i)				3000
f	➢ TA to participants/ monitor (as per Govt. Rule)				9650
	Cost of one Batch				52000

Programme Officer	Financial Advisor CHART	Member Secretary CHART
Asstt Professor	SAO	Director
SIHFW	SIHFW	SIHFW

(286) 204

नयी आशाओं के 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रस्तावित कार्य योजना

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली आशाओं को पूर्व में 3 चरणों में क्रमशः 7 दिवसीय, 12 दिवसीय तथा 4 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया है। परन्तु अब नयी आशाओं (जो कार्य छोड़कर गयी आशाओं के स्थान पर रखी गयी है) को भारत सरकार एवं एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 के निर्देशानुसार 8 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाना है। इसके लिए 8 दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल एन0एच0एस0आर0सी0 नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें पूर्व के आशा प्रशिक्षण माड्यूल्स की विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है। ऐसे जनपदों को, जहां कार्य छोड़कर गयी आशाओं के स्थान पर आशाओं का चयन किया जा चुका है, को 11 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केद्रों –मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, मुरादाबाद, आगरा एवं फैजाबाद के अंतर्गत विभाजित किया गया है। प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्य तीन चरणों में किया जायेगा। सर्वप्रथम संस्थान में दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य एवं चयनित प्रशिक्षकगण तथा मंडल स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। मंडल स्तर के सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर आशा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात् आशाओं का प्रशिक्षण जनपद स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण की विस्तृत कार्ययोजना निम्नवत् प्रस्तावित है–

1. राज्य स्तर पर दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन

नई आशाओं की प्रशिक्षण कार्य योजना की जानकारी देने के लिए संस्थान में दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। इसमें 11 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रधानाचार्य तथा उनके द्वारा चयनित प्रशिक्षकगण, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय से एक संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी योगदान करेगें। इसी कार्यशाला में परिवार कल्याण महानिदेशालय के अधिकारीगण, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 तथा संस्थान के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। कार्यशाला में प्रशिक्षण कार्ययोजना, प्रशिक्षण भार (ट्रेनिंग लोड) प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश, वित्तीय दिशा निर्देश, व्यय के मानक, कार्यक्रम सारणी तथा प्रशिक्षण कैलेण्डर आदि विषयों पर जानकारी दी जायेगी तथा प्रशिक्षण संबंधी अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श भी किया जायेगा।

अभिमुखीकरण कार्यशाला में योगदान देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रधानाचार्य द्वारा 2–3 ऐसे प्रशिक्षकों का चयन किया जायेगा, जो पूर्व में आशा प्रशिक्षण/सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षण से जुड़े रहे हो अथवा जिन्होंने अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने का कार्य किया हो। इसमें प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षक/प्रशिक्षकों के अतिरिक्त ऐसे अवकाश प्राप्त विभागीय कर्मी/एन0जी0ओ0 प्रशिक्षक हो सकते हैं, जिनका फीड बैक अच्छा रहा हो, जो अनुभवी, कुशल एवं उत्साही हों तथा प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखते हों। प्रशिक्षण के दौरान उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा वे पर्याप्त समय भी दे सके । प्रशिक्षकों के चयन में सावधानी रखते हुए केवल योग्य प्रशिक्षकों को ही चयनित किया जाए ।

2. मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्य

मंडल स्तर पर सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर आशा प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। जिसमें प्रशिक्षण केंद्र को आवंटित जनपदों से जनपद स्तरीय प्रशिक्षक सम्मिलित होगें। प्रशिक्षण कार्य केवल संस्थान में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला में योगदान कर चुके प्रशिक्षकों द्वारा ही किया जायेगा। 1 बैच 25 प्रतिभागियों का होगा तथा प्रत्येक दिन अधिकतम 03 प्रशिक्षक ही कार्य करेगे (चिकित्सीय पृष्ठभूमि का एक प्रशिक्षक प्रतिदिन अनिवार्य है)। प्रत्येक जनपद के डी0सी0एम0 को भी मंडल स्तर के अभिमुखीकरण टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किया जायेगा। इनका सहयोग प्रशिक्षण के आयोजन/पर्यवेक्षण कार्य हेतु प्राप्त किया जायेगा।

प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके जनपद से प्रशिक्षकों के रूप में 4 प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा। इनमें से दो प्रशिक्षक ए0एन0एम0टी0सी0/डी0पी0टी0टी0 केन्द्रोंपर तैनात पी0एच0एन0/ट्यूटर, जनपद स्तर पर कार्यरत डी0एच0ई0आई0ओ0/डी0पी0एच0एन0/

डी0एच0वी0 आदि में से तथा दो प्रशिक्षक अवकाश प्राप्त विभागीय कर्मी/एन0जी0ओ0 हो सकते हैं। पूर्व में आशा प्रशिक्षण/सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षण से जुड़े रहे प्रशिक्षकों को वरीयता दी जाए। परन्तु चयन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि चयनित प्रशिक्षक अनुभवी, कुशल, उत्साही हों एवं प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखते हों। यह भी आवश्यक है कि इन प्रशिक्षकों का फीड बैक पूर्व में अच्छा रहा हो। प्रशिक्षण के दौरान उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा वे पर्याप्त समय भी दे सके । प्रशिक्षकों का चयन सावधानी पूर्वक करते हुए केवल योग्य प्रशिक्षकों को ही चुना जाए।

प्रशिक्षण में वार्ता कक्ष में सत्र आयोजित किये जायेगे। साथ ही अभ्यास सत्र भी आयोजित किये जायेगे। लघु फिल्म " तारा हमारी आशा" का प्रदर्शन भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान समय–समय पर तथा प्रशिक्षण के अंत में आशा प्रशिक्षकों का मूल्यांकन भी किया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रशिक्षकों का चयन एवं इनका मंडल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु नामांकन का कार्य मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।मंडल स्तर पर प्रशिक्षण सत्र/सत्रों का कैलेण्डर सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा तैयार किया जायेगा तथा इसकी ससयम सूचना संस्थान तथा सी0एम0ओ0 को दी जायेगी। **प्रशिक्षण के गुणवत्तापरक आयोजन के लिए सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होंगे।**

3. जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्य

जनपद स्तर पर आशाओं का प्रशिक्षण 8 दिवसीय होगा, जो जनपद स्तरीय प्रशिक्षण स्थल (ए0एन0एम0टी0सी0/डी0पी0टी0टी0/अन्य प्रशिक्षण स्थल जहां प्रशिक्षण संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो और जिसका चयन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पूर्व में प्रशिक्षण स्थल के रूप में किया गया हो) पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण देने का कार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में योगदान कर चुके प्रशिक्षकों द्वारा ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा। प्रत्येक बैच में 30 आशायें प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। प्रशिक्षक के रूप में प्रतिदिन अधिकतम 03 प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण देगें।

संबंधित जनपद के अंतर्गत चयनित आशाओं की संख्या के अनुसार बैचों का निर्धारण किया गया है। जिसकी सूचना दिशा–निर्देश के साथ प्रेषित की जायेगी। प्रशिक्षण में वार्ता कक्ष में सत्र आयोजित किये जायेगे। साथ ही अभ्यास सत्र भी आयोजित किये जायेगे। लघु फिल्म " तारा हमारी आशा" का प्रदर्शन भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान समय–समय पर तथा प्रशिक्षण के अंत में आशाओं का मूल्यांकन भी किया जायेगा।

आशाओं के प्रशिक्षण के आयोजन की पूर्ण ज़िम्मेदारी सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र की इंचार्ज/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित प्रभारी की होगी जो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षणों का आयोजन करेगें। प्रशिक्षण सत्र/सत्रों का कैलेण्डर प्रभारी प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जायेगा तथा इसकी ससयम सूचना संस्थान को दी जायेगी। **प्रशिक्षण के गुणवत्तापरक आयोजन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होगें।**

किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा।

प्रशिक्षणों का अनुश्रवण (मंडल स्तर पर)

मंडल स्तर पर सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित आशा प्रशिक्षकों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण निदेशक संस्थान द्वारा नामित राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। पर्यवेक्षण का कार्य वही अधिकारी करेगे, जिन्होंने संस्थान में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में योगदान दिया हो। राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के टी0ए0, मानदेय का भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा तथा इनके रहने की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यकतानुसार करनी होगी। उक्त के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अलग से भेजे जायेगें।

प्रशिक्षणों का अनुश्रवण (जनपद स्तर पर)

जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण राज्य, मंडल तथा जनपद स्तर से किया जायेगा। राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के रूप में अधिकारियों का नामांकन निदेशक संस्थान द्वारा किया जाएगा। मंडल स्तर से पर्यवेक्षण का कार्य मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय के संयुक्त निदेशक/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0 एवं सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य करेंगें जिसका समन्वय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित आशा प्रभारी (अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी) तथा डी.सी.एम. आशाओं के प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करेंगे।

राज्य स्तर के पर्यवेक्षकों के टी0ए0, मानदेय का भुगतान मंडल/जनपद स्तर से ही किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ठहरने की व्यवस्था मानकों के अनुसार करनी होगी। मण्डल एवं जनपद स्तर के पर्यवेक्षकों के मानदेय के भुगतान की व्यवस्था भी जनपद स्तरीय बजट में की गयी है।

पर्यवेक्षण प्रपत्र/फ़ॉर्मेट

राज्य, मंडल तथा जनपद स्तर से प्रशिक्षणों के पर्यवेक्षण का कार्य राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा विकसित प्रपत्र/फ़ॉर्मेट पर किया जाएगा। प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करने वाले प्रत्येक अधिकारी को इस प्रपत्र पर अनुश्रवण की रिपोर्ट तैयार करके राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान/एस.पी.एम.यू. /महानिदेशक परिवार कल्याण को प्रेषित करनी होगी।

प्रशिक्षणों के लिए वित्तीय व्यवस्था

प्रशिक्षणों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश, वित्तीय व्यवस्था एवं बजट आदि संबंधी जानकारी पृथक से प्रेषित की जाएगी। संस्थान में अभिमुखीकरण कार्यशाला के लिए एस. पी. एम. यू. द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ को धनराशि अवमुक्त की जाएगी। मंडल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु तथा राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के टी0ए0, मानदेय आदि के भुगतान हेतु धनराशि प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र को डी0एच0एस0 के माध्यम से अवमुक्त की जायेगी। आशा प्रशिक्षणों के आयोजन तथा राज्य, मंडल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आशा प्रशिक्षण के अनुश्रवण हेतु ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

DK 268

नयी आशाओं का 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश, मानक एवं वित्तीय मानक (मंडल स्तरीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु)

प्रशिक्षण स्थलों का चयन

आपके प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.) में आशा प्रशिक्षकों का 3 दिसवीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

1. प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में 25 प्रतिभागी भाग लेगे।
2. यह प्रशिक्षण आवासीय होगा। अतः ठहरने की, साफ सफाई, सुरक्षा, भोजन, पीने के पानी, बिजली/जनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए ऐसे कक्ष की व्यवस्था की जाय जहां प्रतिभागियों तथा प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके तथा अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क कराया जा सके।
4. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को फील्ड विजिट भी करानी होगी, जिसके लिए एक ऐसे गांव का चयन करे जहां स्वास्थ्य केंद्र हो तथा प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त मात्रा मे नवजात शिशु, बीमार बच्चे एवं गर्भवती महिलाए आदि उपलब्ध हो।

प्रशिक्षकों का चयन

आपके प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में योगदान किया जाना है। अभिमुखीकरण कार्यशाला में योगदान कर चुके प्रशिक्षकों द्वारा ही आशा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्ययोजना का विवरण आपको संस्थान में आयोजित की जाने वाली अभिमुखीकरण कार्यशाला में उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें आपके प्रशिक्षण केन्द्र को आवंटित जनपदों के नाम, प्रशिक्षण सत्रों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित पूर्ण विवरण सहित), प्रशिक्षण हेतु आवंटित बजट, दिशा–निर्देश आदि सम्मिलित हैं।

- प्रत्येक बैच में अधिकतम 03 प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण प्रदान करेगे। सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहना तथा सक्रिय सहभागिता देना आवश्यक है। किसी भी दशा में अप्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा।

प्रतिभागियों का चयन

केवल उन्हीं आशा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु नामांकन किया जाना है जिनका चयन संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया है तथा जिनके नाम और विवरण आपको संस्थान में आयोजित कार्यशाला में उपलब्ध कराये गये है। इनमें जनपद स्तरीय प्रशिक्षक/अधिकारी तथा एन0जी0ओ0 आदि सम्मिलित है।

प्रशिक्षण कैलेण्डर एवं प्रशिक्षण का संचालन

- दिशा निर्देश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर बैचवार प्रतिभागियों को सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करके सूचना ससमय मुख्य चिकित्साधिकारी तथा संस्थान को प्रेषित कर दे। प्रशिक्षण कैलेण्डर में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में संस्थान को सूचित किया जाय तथा किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण कैलेण्डर संस्थान को प्रेषित किये बिना प्रशिक्षण प्रारम्भ न किये जाय।

- प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण माड्यूल की विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाय। सत्र योजना, समय योजना, सत्रों की विषयवस्तु तथा प्रशिक्षण पद्धति का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायं।
- प्रशिक्षकों के प्रयोग तथा प्रशिक्षार्थियों को वितरित किये जाने हेतु माड्यूल की प्रतियां आपके प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रशिक्षण में वार्ताकक्ष में सत्रों के साथ–साथ अभ्यास सत्र तथा समूह कार्य भी आयोजित किये जायेगे। प्रशिक्षार्थियों को फील्ड विजिट भी करायी जानी हैं।
- प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों का नामांकन, उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का ही चयन करना तथा प्रशिक्षण में उनका योगदान सुनिश्चित कराते हुए **प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।**
- प्रशिक्षण कार्य हेतु वाहन की व्यवस्था भी प्रधानाचार्य द्वारा अवश्य सुनिश्चित करायी जाये। पी0ओ0एल0 की व्यवस्था कंटीजेंसी मद में है।
- संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्यसारणी के आधार पर अपने प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित होने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य सारणी तैयार करायें जिस पर प्रशिक्षण कोआर्डिनेटर के साथ–साथ प्रधानाचार्य के भी हस्ताक्षर हो।
- प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री–टेस्ट तथा अन्तिम दिन पोस्ट टेस्ट अवश्य कराया जाये। अन्तिम दिन कोर्स इवैल्यूएशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाय तथा प्रशिक्षण संबंधी समस्त बिन्दुओं पर फीड बैक प्राप्त किया जाय।
- प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों/विषयों को बारे में पूर्व से अवगत करा दें जिससे कि उनके द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण आदि तैयार किया जा सके।
- प्रशिक्षण के दौरान लघु फिल्म "तारा हमारी आशा" का प्रदर्शन भी प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के अंत में सांय काल किया जाना है। प्रशिक्षण फिल्म के प्रदर्शन हेतु सी0डी0 प्लेयर, टेलीविजन सेट, जनरेटर, एक्सटेशन बोर्ड आदि यंत्रों/उपकरणों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करनी होगी।
- 03 दिवसीय आशा प्रशिक्षकों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि/कार्यक्रम को नहीं जोडा जा सकेगा।

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था

- प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में चार्ट, मार्कर पेन, ब्लैक बोर्ड, चार्ट स्टैण्ड आदि प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही प्रशिक्षार्थियो को पेन,पैड,बैग प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जानी है। बैच हेतु बैनर फोटोग्राफी तथा प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था की जानी है।

- **वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश**

  व्यय के मानक (अधिकतम) अगले पृष्ठ पर दर्शाए जा रहे है जो वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होगे। व्यय का आंकलन वास्तविक संख्या के अनुसार ही किया जाय।

Three days orientation training of ASHA trainers at RHFWTC				
Cost calculation per batch (for a batch of 25)				
Item	**Rate**	**Days- 3**	**Number/ units**	**Amount**
Perdiem to participants (M.O.)	400	3	10	12000
Perdiem to participants (Below MO level)	300	3	15	13500
Honraria to Trainers (M.O. and above)	500	3	2	3000
Honraria to Trainers (Below M.O. level)	400	3	2	2400
Food for Participants (Breakfast, Tea, Lunch, Dinner etc.)	200	3	25	15000
Food for trainers (Lunch, Tea etc.)	150	3	4	1800
Food for observer (lunch, Tea etc.)	150	2	1	300
Honraria to State observer	1000	2	1	2000
Stay & Food arrangement for state observer (as per actual upto Rs. 1500/-)	1500	1	1	1500
Contingency (Register, Pen, POL, Bag, Stationary etc.)	100	3	25	7500
LCD projector, laptop, Speakers, Photography, Banner etc.	10000	1	1	10000
Institutional Overhead				5000
TA to participants & trainers (Actual as per NRHM norms)				50000
TA to observer (Actual as per NRHM norms				3000
Grand total				**127000**

भोजन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थायें

- प्रशिक्षण कक्ष में साफ सफाई, बैठने तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था तथा भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए चाय, नाश्ता, दोपहर के भोजन, रात्रि का भोजन तथा दिन में प्रशिक्षण के दौरान दो बार चाय आदि की व्यवस्था की जानी है। प्रशिक्षकों को चाय, भोजन आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
- प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान ऊपर तालिका में दी गयी दर से किया जायेगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाये।
- यात्रा भत्ता का भुगतान एन0आर0एच0एम0 के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा।
- विभिन्न मदों पर व्यय प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के अंदर ही करना होगा।
- सभी बिल बाउचर, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की सूची (नाम, पदनाम, तैनाती स्थान एवं मोबाइल नं0 सहित) रिसोर्स पर्सन्स की सूची नाम, पता, उनको दिया गया मानदेय आदि सहित आपके स्तर पर भविष्य में आडिट आदि के लिए सुरक्षित रखे जायेगें। प्रशिक्षार्थियों को वितरित की गयी सामग्री का विवरण भी उपलब्ध रखना होगा।
- प्रत्येक बैच का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रशिक्षण समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर डी0एच0एस0 को तथा वित्त नियंत्रक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

कटींजेन्सी व्यय के मानक

- कंटींजेंसी के लिए प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से प्राविधान किया गया है। कटींजेंसी हेतु प्राविधानित धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर ही अनुमन्य होगी। इस राशि का उपयोग प्रतिभागियों मे वितरित करने हेतु स्टेशनरी (रजिस्टर, पेन, पेन्सिल, कटर, चार्ट पेपर, मार्कर पेन, सर्टीफिकेट आदि) फोटो कापी, बैग, पी0ओ0एल0 (वाहन एवं जनरेटर हेतु) तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्री, सफाई आदि की व्यवस्था पर किया जा सकता है। प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी तथा बैनर आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।

I.O.H- व्यय के मानक

- आई0ओ0एच0 हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण कक्ष, छात्रावास, मेस में जलापूर्ति, विद्युत, फर्नीचर, प्रशिक्षण उपकरणों की मरम्मत तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने तथा संचार सुविधाओं व सूचनाओं के प्रेषण के लिए किया जा सकता है।

प्रशिक्षण सत्रों का अनुश्रवण

- मंडल स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र हेतु निर्धारित बैचों का अनुश्रवण राज्य स्तर से निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक मानिटरिंग विजिट 02 दिन की होगी। जिसके लिए धनराशि प्रशिक्षण बजट के साथ अवमुक्त की जायेगी ।

रिपोर्टिंग

- मंडल स्तर के प्रशिक्षणों की रिपोर्टिंग कोर्स रिपोर्ट के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिभागियों की सूची नाम, पदनाम, मोबाइल नं0 आदि सहित संस्थान को की जानी है।
- सभी प्रधानाचार्य प्रशिक्षण की अद्यतन सूचना प्रत्येक माह की 1 तथा 15 तारीखों पर संस्थान, एस0पी0एम0यू0 तथा महानिदेशक परिवार कल्याण को प्रेषित करेगे। यदि इस अवधि में कोई प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किया गया हो तब भी भौतिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी है।
- प्रधानाचार्य द्वारा आब्जर्वर से प्राप्त प्रशिक्षण आख्या पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

चूंकि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किये जाते रहे हैं अतः आशा है कि आपको इस कार्यक्रम के सफल संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा।

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

नई आशाओं के आठ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण वर्ष 2013–14 के लिए उपरोक्त दिशा निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

महानिदेशक, परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश

नयी आशाओं का 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश, मानक एवं वित्तीय मानक (जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु)

प्रशिक्षण स्थलों का चयन

1. आपके जनपद मे नयी आशाओं का 8 दिवसीय प्रशिक्षण शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण जनपद स्तर पर स्थित ए0एन0एम0टी0सी0 / डी0पी0टी0टी0 / अन्य स्थल (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चयनित जहां प्रशिक्षण संबंधी समस्त व्यवस्थाएं / सुविधाएं उपलब्ध हो) पर किया जाएगा।
2. एक बैच में अधिकतम 3 प्रशिक्षकों की टीम, जो पूर्व में सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हो, प्रशिक्षण कार्य करेगी।
3. प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में 30 आशाएं भाग लेगीं।
4. प्रशिक्षण स्थल का चयन करते समय यह अवश्य ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण आवासीय होगा। अतः यहां ठहरने की, साफ सफाई, सुरक्षा, भोजन, पीने के पानी, बिजली / जनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
5. प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए ऐसे कक्ष की व्यवस्था की जाय जहां प्रतिभागियों तथा प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके तथा अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क कराया जा सके।
6. फील्ड विजिट हेतु ऐसे उपकेन्द्र का चयन किया जाय जहां प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त मात्रा मे नवजात शिशु, बीमार बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं आदि उपलब्ध हों।

प्रशिक्षकों का चयन

आपके जनपद से जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन किया जा चुका है, इन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों– **लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, मुरादाबाद, फैजाबाद, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली तथा गोरखपुर** पर किया जाना है। जनपद पर आशाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र पर केवल अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक ही करेंगे। अतः चयनित प्रशिक्षकों को मंडल स्तर पर आयोजित अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा।

प्रशिक्षण कार्ययोजना का विवरण संस्थान में आहूत की जाने वाली आशा नोडल अधिकारियों की बैठक में उपलब्ध कराया जायेगा।

- प्रत्येक बैच में अधिकतम 03 प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण प्रदान करेगें। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहना तथा सक्रिय सहभागिता देना आवश्यक है। किसी भी दशा में ऐसे प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाय जिन्होंने 03 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
- यदि एन0जी0ओ0 से संबंधित कोई प्रशिक्षक अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप प्रशिक्षण न दे पा रहा हो तो ऐसे प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु उपयोग न किया जाना ही उचित होगा। इसके अतिरिक्त यह संभव है कि कुछ प्रशिक्षक अपनी सेवाए प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करें तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रशिक्षित प्रशिक्षक की सेवाए प्रशिक्षक के रूप में प्राप्त की जा सकती है।
- प्रत्येक जनपद के डी0सी0एम0 को भी मंडल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इनका सहयोग जनपद स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण के आयोजन तथा पर्यवेक्षण में प्राप्त किया जायेगा।

प्रतिभागियों का चयन

केवल उन्हीं नयी आशाओं का प्रशिक्षण हेतु नामांकन किया जाना है जो कार्य छोड़कर गयी आशाओं के स्थान पर रखी गयी है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबंधित ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी / अधीक्षक तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी दोनों ही जिम्मेदार होंगे। ब्लाकों से आशाओं का चयन इस प्रकार से किया जाय कि जनपद स्तर पर 30 आशाओं का बैच बन सके।

प्रशिक्षण कैलेण्डर एवं प्रशिक्षण का संचालन

- जनपद में प्रशिक्षण हेतु किस ब्लाक की आशाओं को प्रशिक्षण हेतु कब भेजा जाना है इसका निर्धारण संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला कम्यूनिटी मोबिलाईजर, संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारियों तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रभारी/नोडल अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशन में प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करके संस्थान को प्रेषित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण कैलेण्डर संस्थान को प्रेषित किये बिना प्रशिक्षण प्रारम्भ न किये जाय। प्रशिक्षण कैलेण्डर में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में संस्थान को सूचित किया जाय।
- प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण माड्यूल की विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाय। सत्र योजना, समय योजना, सत्रों की विषयवस्तु तथा प्रशिक्षण पद्धति का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आशाओं में वितरित किये जाने हेतु माड्यूल की प्रतियां आपके जनपद को उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- प्रशिक्षण में वार्ताकक्ष में सत्रों के साथ–साथ अभ्यास सत्र तथा समूह कार्य भी आयोजित किये जायेगे। प्रशिक्षार्थियों को फील्ड विजिट अवश्य करायी जानी है।
- प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों का नामांकन, उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का ही चयन करना तथा प्रशिक्षण में उनका योगदान सुनिश्चित कराते हुए **प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना मुख्य चिकित्साधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।**
- प्रशिक्षण कार्य हेतु वाहन की व्यवस्था भी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवश्य सुनिश्चित करायी जाये। पी0ओ0एल0 की व्यवस्था बजट में है।
- संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यसारणी के आधार पर अपने जनपद हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य सारणी तैयार करायें जिस पर प्रशिक्षण कोआर्डिनेटर के साथ–साथ नोडल अधिकारी आशा प्रशिक्षण के भी हस्ताक्षर हो।
- प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री–टेस्ट तथा अन्तिम दिन पोस्ट टेस्ट अवश्य कराया जाये।
- प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों/विषयों के बारे में पूर्व से अवगत करा दिया जाय, जिससे कि उनके द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण आदि समय से तैयार किया जा सके।
- प्रशिक्षण के दौरान लघु फिल्म "तारा हमारी आशा" का प्रदर्शन भी किया जाना है। जिसे प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के अंत में सांय काल दिखाया जाना है। फिल्म की सी0डी0 आशा प्रशिक्षकों को संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रशिक्षण फिल्म के प्रदर्शन हेतु सी0डी0 प्लेयर, टेलीविजन सेट, जनरेटर, एक्सटेंशन बोर्ड आदि यंत्रों/उपकरणों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करनी होगी। एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी वार्ता कक्ष में करायी जानी है।
- 8 दिवसीय आशा प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि/कार्यक्रम को नहीं जोड़ा जा सकेगा।

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था

- प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में चार्ट, मार्कर पेन, ब्लैक बोर्ड, चार्ट स्टैण्ड आदि प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही आशाओं को पेन,रजिस्टर, बैग, प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जानी है। बैच हेतु बैनर तथा फोटोग्राफी, पी0ओ0एल0 आदि की व्यवस्था कराई जानी है।

वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश

- व्यय के मानक (अधिकतम) अगले पृष्ठ पर दर्शाए जा रहे है जो वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होगे। व्यय का आंकलन वास्तविक संख्या के अनुसार ही किया जाय (तालिका–1)।

1	Eight days training of New ASHA at distict level Cost calculation per batch (for a batch of 30)				
	Item	Rate	Days-8	Number/units	Amount
	Perdiem to participants (ASHA)	100	8	30	24000
	Honraria to Trainers (M.O. and above/ equivalent)	500	8	1	4000
	Honraria to Trainers (Below M.O. level)	300	8	3	7200
	Food for Participants (Breakfast, Tea, Lunch, Dinner etc.)	200	8	30	48000
	Food for trainers (Lunch, Tea etc.)	150	8	4	4800
	Food for state observer (lunch, Tea etc.)	150	1	1	150
	Honrarium for District / Division observer	500	1	1	500
	Contingency (Register, Pen, POL, Bag, Stationary etc.)	75	8	30	18000
	LCD projector, laptop, Speakers, Photography, Photo copy,Banner etc.	10000	1	1	10000
	Institutional Overhead				5000
	TA to participants & trainers (Actual as per NRHM norms) Asha @ Rs. 300 per participant				15000
	Grand total				**136650**

2	Monitoring of District level training by state level observers				
	Item	Rate	Days-2	Number/units	Amount
	In each district, observation visits will be held to monitor the quality of ASHA trainings at District level.				
	Honoraria to State level observers	1000	2	1	2000
	Food & stay lodging	1500	1	1	1500
	TA Rs. 3000 (actual, as per NRHM Norms)				3000
	Total				**6500**

<u>भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं</u>

- प्रशिक्षण कक्ष में साफ सफाई, बैठने तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था तथा भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए चाय, नाश्ता, दोपहर के भोजन, रात्रि का भोजन तथा दिन में प्रशिक्षण के दौरान दो बार चाय आदि की व्यवस्था की जानी है। प्रशिक्षकों के चाय, भोजन आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
- आशाओं को प्रशिक्षण के अन्त में परडायम के रूप में रू0 800.00 तथा यात्रा भत्ता के रूप में कुल 300 रू0 का भुगतान किया जायेगा।
- प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान ऊपर तालिका में दी गयी दर से किया जायेगा।
- आशाओं के लिए सम्पूर्ण भोजन व्यवस्था/चाय/नाश्ता आदि हेतु रू0 200/-प्रति आशा प्रतिदिन की दर से बजट में व्यवस्था की गयी है। इसका प्रयोग भोजन व्यवस्था पर ही किया जाय।
- प्रशिक्षकों के भोजन हेतु भी रू0 150/- की दर से प्रतिदिन 04 प्रशिक्षकों हेतु बजट में व्यवस्था की गयी हैं।

- विभिन्न मदों पर व्यय प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के अंदर ही करना होगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाये।
- सभी बिल बाउचर, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की सूची (नाम, पदनाम, तैनाती स्थान एवं मोबाइल नं0 सहित) रिसोर्स पर्सन्स की सूची नाम, पता, उनको दिया गया मानदेय आदि सहित समस्त अभिलेख आपके स्तर पर भविष्य में आडिट आदि के लिए सुरक्षित रखे जायेगें। प्रशिक्षार्थियों को वितरित की गयी सामग्री का विवरण भी उपलब्ध रखना होगा।

<u>कटींजेन्सी व्यय के मानक</u>

- कंटींजेंसी के लिए प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से प्राविधान किया गया है। कटींजेंसी हेतु प्राविधानित धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर ही अनुमन्य होगी। इस राशि का उपयोग प्रतिभागियों मे वितरित करने हेतु स्टेशनरी (रजिस्टर, पेन, पेन्सिल, कटर, चार्ट पेपर, मार्कर पेन, सर्टीफिकेट, बैग),पी0ओ0एल0 आदि पर किया जायेगा)। फोटो कापी, फोटोग्राफी, बैनर तथा प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था हेतु भी धनराशि बजट में प्राविधानित है।

<u>I.O.H- व्यय के मानक</u>

- आई0ओ0एच0 हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण कक्ष, छात्रावास, मेस में जलापूर्ति, विद्युत, फर्नीचर, प्रशिक्षण उपकरणों की मरम्मत तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने तथा संचार सुविधाओं व सूचनाओं के प्रेषण के लिए किया जा सकता है।

<u>प्रशिक्षण सत्रों का अनुश्रवण</u>

- जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों का अनुश्रवण राज्य तथा मंडल/जनपद स्तर से किया जायेगा। मंडल स्तर से संस्थान में 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में योगदान कर चुके मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी, संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य तथा डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजरएन0आर0एच0एम0 द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। जबकि जनपद स्तर से मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी आशा प्रशिक्षण तथा डी0सी0एम0 आशाओं के प्रशिक्षण का अनुश्रवण करेगे। प्रत्येक बैच में कम से कम एक दिन उपरोक्त में से किसी एक अधिकारी (जनपद अथवा मंडल स्तर से) द्वारा प्रशिक्षण की मानिटरिंग की जानी आवश्यक है। मण्डल तथा जनपद स्तर से आशा प्रशिक्षण के अनुश्रवण का समन्वय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- जनपद स्तरीय निर्धारित कुल बैचों में से लगभग 10 प्रतिशत बैचों का अनुश्रवण राज्य स्तर से निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा। प्रत्येक मानिटरिंग विजिट दो दिन की हो सकती है। इसके लिए 1000/– रूपए की दर से दो दिन का मानदेय रू0 2000/–, रू0 1500/– की दर से आवास एवं रात्रि के भोजन की व्यवस्था तथा टी0ए0 हेतु रू0 3000/– की धनराशि का प्राविधान बजट में पृथक से किया गया है **(तालिका 2)**। भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा। यह धनराशि प्रशिक्षण बजट के साथ अवमुक्त की जा रही है। मॉनिटरिंग हेतु भुगतान संबंधित जनपद के प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा उसी दिन किया जायेगा। राज्य स्तर के पर्यवेक्षकों हेतु जनपद से प्रशिक्षण स्थल तक परिवहन की व्यवस्था भी संबंधित जनपद के आशा नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी।

2/6

रिपोर्टिंग

- जनपद स्तर के प्रशिक्षणों की रिपोर्टिंग–प्रतिभागियों की सूची सहित जिसमें नाम, पद व मोबाइल नं0 आदि अंकित हो, आशा नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर की जानी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिन के अन्दर संस्थान को प्रेषित करेगें।
- सभी जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर अपने जनपदों के प्रशिक्षण की अद्यतन सूचना संस्थान द्वारा जनपदों को प्रेषित रिर्पोटिंग फार्मेट पर प्रत्येक माह की 1 तथा 15 तारीखों पर संस्थान, एस0पी0एम0यू0 तथा महानिदेशक परिवार कल्याण को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगें। यदि इस अवधि में कोई प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किया गया हो तो भी भौतिक प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों से प्राप्त प्रशिक्षण आख्या पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
- डी0सी0एम0 की अनुपस्थिति में जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन0आर0एच0एम0 द्वारा उक्त प्रशिक्षण से संबंधित समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
- प्रत्येक बैच का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रशिक्षण समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर वित्त नियंत्रक ,एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

चूंकि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके जनपद में पूर्व से आयोजित किये जाते रहे हैं अतः आशा है कि आपको इस कार्यक्रम के सफल संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा।

भवदीय

(डा0 आशुतोष गुप्ता)
निदेशक

नई आशाओं के आठ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण वर्ष 2013–14 के लिए उपरोक्त दिशा निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

महानिदेशक, परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश